

अध्याय – 4

संपादनों की लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनके क्षेत्र संघटन तथा स्वायत्त निकायों की सम्पादन लेखापरीक्षा ने संसाधनों के प्रबंधन में चूकों तथा विनियमितता, औचित्य एवं मितव्ययता के मानकों की अनुपालना में विफलता के विभिन्न उदाहरण प्रकट किए। ये अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तृत विषयपरक शीर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।

4.1 नियमों का अननुपालन

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु यह अनिवार्य है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जाता है। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं छलकपटों को रोकता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। नियमों एवं विनियमों की अननुपालना पर कुछ लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिला रैड क्रॉस सोसाइटी)

4.1.1 (क) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन

वाहनों तथा ड्राइविंग लाइसेंसों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के जारी करने हेतु उद्गृहीत सेवा प्रभागों की प्राप्तियों एवं जमा से संबंधित वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अननुपालना के कारण जिला रैड क्रॉस सोसाइटी, मेवात, नूंह में ₹ 18,45,500 का गबन हुआ।

1920 में गठित की गई भारतीय रैड क्रॉस सोसाइटी (आई.आर.सी.) युद्ध एवं शान्तिकाल के दौरान बीमार एवं घायलों को चिकित्सा एवं अन्य सहायता तथा इसी तरह के अन्य प्रयोजनों हेतु जनता से धन एवं उपहार प्राप्त करती है।

पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.2 एवं 2.7), जैसा कि हरियाणा सरकार को एवं रैड क्रॉस सोसायटियों को भी लागू हैं, आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षा करते हैं कि सभी वित्तीय सम्पादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। नियम का नियम 2.7 तत्रैव प्रावधान करता है कि कर्मचारी, जो कैशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के प्रकरण में, उसके द्वारा वह राशि कैश बुक रखने वाले कर्मचारी को प्रेषित करना अथवा उसी दिन या अगले दिन प्रातः कोषालय/बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। नियम 2.2 (iii) के अंतर्गत कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा, कैशबुक में योगों सहित सभी प्रविष्टियों की जांच किया जाना अथवा कैश बुक के लेखक से अन्य किसी जिम्मेदार कर्मचारी से इसे करवाना तथा सभी प्रविष्टियों को परिशुद्ध के रूप में आद्याक्षर किया जाना अपेक्षित है।

सरकार ने आई.आर.सी. के संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में जिला रैड क्रास सोसाइटियों (डी.आर.सी.एस.) के माध्यम से हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (हैरिस) कार्यान्वित करने का निर्णय किया (अक्टूबर 2000)। तदनुसार, प्रणाली के अन्तर्गत वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य डी.आर.सी.एस.ज को सौंपा गया था। जिला प्रशासन ने दो पहिया वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ₹ 100, ₹ तीन लाख तक की लागत वाले वाहनों के लिए ₹ 300, ₹ तीन लाख से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए ₹ 500 की दर पर सेवा प्रभार नियत किए (जुलाई 2001)। ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने के लिए सेवा प्रभार ₹ 50 प्रति ड्राईविंग लाईसेंस के रूप में नियत किए गए थे। डी.आर.सी.एस. द्वारा सेवा प्रभार एकत्र किए जाने थे तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को दो प्रतियों में पावतियां जारी की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संगृहीत राशि, उसी दिन अथवा अन्ततम अगले दिन तक बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। डी.आर.सी.एस. द्वारा दैनिक, मासिक एवं वार्षिक आधार पर एकत्रित सेवा प्रभारों के जिला एवं तहसीलवार विस्तृत अभिलेख अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत डी.आर.सी.एस., मेवात, नूंह के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया (सितम्बर 2011) कि डी.आर.सी.एस. की ओर से सामान्य जनता से सेवा प्रभार एकत्र करने के लिए तथा उसे डी.आर.सी.एस. के कैशियर के पास जमा करवाने के लिए उप-मंडलीय कार्यालय के डाटा एंट्री आपरेटरो (डी.ई.ओ.ज.) को तैनात किया गया था। डी.आर.सी.एस. द्वारा, यह सुनिश्चित करने हेतु कि जनता से एकत्रित सेवा प्रभारों की राशियों का डी.ई.ओ.ज द्वारा जमा करवाई गई राशियों से मिलान किया गया था, उप-मंडलीय कार्यालयों से कभी भी मास के दौरान एकत्रित राशियों के विवरण नहीं मांगे गए थे। यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया कि डी.ई.ओ.ज द्वारा एकत्रित सारा धन कैशियर के पास जमा करवा दिया गया था या नहीं। दो उप-मंडलीय कार्यालयों (नूंह तथा फिरोजपुर झिरका) द्वारा जमा करवाए गए सेवा प्रभारों की नमूना-जांच (सितम्बर 2011) ने प्रकट किया कि सेवा प्रभारों के रूप में सामान्य जनता से एकत्रित ₹ 34,50,000 में से केवल ₹ 16,04,500 डी.आर.सी.एस., मेवात, नूंह के पास जमा करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18,45,500 कम जमा हुए, जो डी.ई.ओ.ज द्वारा गबन के तुल्य है।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2011) सचिव, डी.आर.सी.एस., मेवात ने संबंधित कर्मचारियों से ₹ 17,41,650 वसूल किए (सितम्बर 2011 तथा नवंबर 2011) किन्तु ₹ 1,03,850 अब तक वसूलनीय थे। सचिव ने बताया (फरवरी 2012) कि ₹ 1,03,850 की यह राशि कम्प्यूटरों की खरीद के विरुद्ध भुगतान की गई थी तथा कुछ भी समय में समायोजित कर ली जायेगी। उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि डी.आर.सी.एस. की कैश-बुक में धन के अलेखांकन के कारण नहीं दिए गए थे (दिसंबर 2012)। आगे, चूक के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध दिसंबर 2012 तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी।

12 अक्टूबर 2012 को आयोजित एग्जिट कान्फ्रेंस में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया कि सेवा प्रभारों की प्राप्ति और जमा के लेखांकन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा और सभी उपायुक्तों को डी.आर.सी.एस. में प्राप्तियों के समुचित लेखांकन हेतु आन्तरिक निगरानी के प्रवर्तन के लिए कहा

जायेगा। यह आश्वासन भी दिया गया था कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सर्वत कार्रवाई की जायेगी। अगली कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2013)।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

4.1.1 (ख) अपर्याप्त मानीटरिंग तथा वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन

वित्तीय नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने में कार्यकारी अभियंता/उप-मंडल अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ की विफलता ने जल एवं सीवरेज प्रभारों के संग्रहण एवं जमा में ₹ 10,30,136 के गबन को सुगम बना दिया।

पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 2.2 (iii), जैसा कि हरियाणा में भी लागू है, प्रावधान करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि सभी वित्तीय सम्पादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कौशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। आगे, तत्रैव नियमों के नियम 2.7 तथा 2.4 प्रावधान करते हैं कि कर्मचारी, जो कौशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के प्रकरण में, उसके द्वारा वह कौश बुक रखने वाले कर्मचारी को प्रेषित करना अथवा उसी दिन या अगले दिन प्रातः कोषालय/बैंक में राशि जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) मंडल 2, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ में जल एवं सीवरेज प्रभारों के संग्रहण के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2012 तथा मार्च 2012) ने प्रकट किया कि उप-मंडल 3 एवं 5, पानीपत तथा 2, मोहिन्द्रगढ़ में बिल क्लर्क, उपभोक्ताओं से जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रभारों के कारण प्रतिदिन रोकड़ एकत्र कर रहे थे। तथापि, नकद रसीदें जारी करने के पश्चात् ये रोकड़ संग्रहण रजिस्ट्रों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। बिल क्लर्कों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य ₹ 40,30,013 एकत्र किए किन्तु केवल ₹ 34,09,108 जमा करवाए। इसके परिणामस्वरूप, पी.एच.ई. मंडल-2, पानीपत तथा पी.एच.ई. मंडल, मोहिन्द्रगढ़ के उपमंडल क्लर्कों (एस.डी.सी.) के पास ₹ 6.21 लाख की राशि कम जमा करवाई गई थी, जैसा तालिका-1 में विवरण दिया गया है।

तालिका-1: बिल क्लर्क द्वारा कम जमा करवाई गई राशियों के विवरण

(₹ में)

मंडल का नाम	उप-मंडल का नाम	अवधि	एकत्र की गई राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 2, पानीपत	उप-मंडल 3, पानीपत	01 नवंबर 2010 से 31 जनवरी 2012	3,78,692	3,55,005	23,687
	उप मंडल-5, पानीपत	01 नवंबर 2010 से 31 जनवरी 2012	6,67,476	4,13,874	2,53,602
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, मोहिन्द्रगढ़	उप मंडल-2, मोहिन्द्रगढ़	01 अप्रैल 2010 से 14 मार्च 2012	29,83,845	26,40,229	3,43,616
कुल			40,30,013	34,09,108	6,20,905

(स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़ों से समेकित)

इस प्रकार, रोकड़ संग्रहण करने वाले बिल क्लर्को द्वारा ₹ 6,20,905 का कम जमा कराया जाना गबन के समान है। इसके अतिरिक्त, उप-मंडल-5, पानीपत में एस.डी.सी. के पास जमा करवाए जाने हेतु अपेक्षित ₹ 4,09,231 की राशि अक्टूबर 2010 से सितंबर 2011 (परिशिष्ट 4.1) के दौरान दो तथा नौ माह के मध्य श्रृंखलित विलंब के पश्चात् जमा करवाई गई थी जो तत्रैव नियमों के नियम 2.4 तथा 2.7 के प्रावधानों के विरुद्ध था। यह सरकार की ओर से प्राप्त धन के अस्थायी गबन के समान था।

यह इंगित किए जाने पर इंजीनियर-इन-चीफ, पी.एच.ई.डी. ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (नवंबर 2012) कि पी.एम.ई. 2, पानीपत में गबन की गई ₹ 2,77,289 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा सरकारी खाते में जमा करवाई गई थी और पी.एच.ई. मंडल, मोहिन्द्रगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई गई थी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

उप-मंडलीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियंत्रण की कमी तथा रोकड़ को संभालने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने ने ₹ 10,30,136¹ की राशि की सरकारी प्राप्तियों के गबन को सुगम बना दिया जिसमें से ₹ 3,43,616 अभी वसूल किए जाने थे (जनवरी 2013)।

मामला मई 2012 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पी.एम.ई. विभाग को संदर्भित किया गया था। 22 अगस्त 2012 को प्रधान सचिव के साथ एक एगिजट कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें प्रमुख अभियंता, पी.एच.ई. विभाग भी उपस्थित थे। तथ्यों को स्वीकारते हुए उन्होंने सूचित किया कि संबंधित कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि ऐसी चूकों के पुनरावृत्ति के विरुद्ध सुरक्षा के लिए फील्ड अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे। मामले में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2013)।

सिंचाई विभाग

4.1.2 डैम तटबंधों पर एकत्र, खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय

नींव से खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग कौशल्या डैम के तटबंधों में न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हरियाणा सरकार ने कौशल्या डैम के निर्माण हेतु ₹ 51.37 करोड़ की परियोजना अनुमोदित की (दिसंबर 2005)। परियोजना का अनुमान, कार्य के विस्तार में परिवर्तन के कारण मार्च 2007 में ₹ 98.18 करोड़ तक संशोधित किया गया था क्योंकि डैम की ऊंचाई बढ़ा दी गई थी परियोजना की अनुमानित लागत, पर्यावरणीय क्लीयरेंस से बचने के लिए, ₹ 100 करोड़ के भीतर रखी गई थी। मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा ने वाटर एंड पावर कंसल्टेंटों से सर्विसिज (परामर्श कार्य में संलग्न भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तुत किए गए (जुलाई 2007) ड्राइंग्स एवं डिजाइन के

¹ ₹ 2,77,289 + ₹ 3,43,616 + ₹ 4,09,231 = ₹ 10,30,136

आधार पर ₹ 56.22 करोड़ के मिट्टी के डैम के निर्माण हेतु अनुमान को संस्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2007)। अनुमान में जंगल तथा अन्य वनस्पति हटाकर डैम नींव के सम्पूर्ण करार क्षेत्र को साफ करवाने एवं खोदने का प्रावधान था (अक्टूबर 2007)। इसके पश्चात्, एक मीटर गहराई तक मिट्टी ऊपरी भार हटाने के लिए हटाई जानी थी तथा एक मीटर की गहराई से अधिक खोदी गई सम्पूर्ण सामग्री भूमि के भराव में उपयोग की जानी थी।

अधीक्षक अभियंता, एस.वाई.एल. परिमंडल, अंबाला ने कौशल्या डैम तथा इसका आनुषंगिक संरचना निर्माण कार्य ₹ 52.99 करोड़ हेतु एक एजेंसी² को प्रदान किया (मार्च 2008)। सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पिंजौर के सैक्टर 3, 4 एवं 5 तथा पिंजौर के अन्य क्षेत्रों के लिए वाहनों के सुगम परिचालन हेतु डैम की ऊपरी चौड़ाई को 30 मीटर तक और बढ़ाने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008)। तदनुसार, सरकार ने नवंबर 2008 में ₹ 180 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन संशोधित किया। इसके परिणामस्वरूप, कार्य का क्षेत्र बढ़ गया था तथा अनुबंध ₹ 112.99 करोड़ तक बढ़ाया गया (जून 2009) था। करार अनुबंध की धारा 5.4.1 के अनुसार डैम तटबंध भाग में इम्परवियस कोर, परवियस शैल तथा फिल्टर (ट्रांजीशन जोनस), इत्यादि शामिल थे। इन जोनस के लिए भरण सामग्री बोरो क्षेत्रों जिनकी पहचान एवं व्यवस्थापन ठेकेदार द्वारा उसकी अपनी लागत से किया जाना था। एजेंसी ने नवंबर 2012 तक ₹ 118.89 करोड़ की राशि का कार्य पूर्ण किया था।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2011) ने प्रकट किया कि करार दस्तावेज के मात्राओं के बिल की मद संख्या 2 के अनुसार 5,39,779 क्यूबिक मीटर अर्थ की खुदाई के कारण एजेंसी को ₹ 4.59 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। संस्वीकृत अनुमान के अनुसार एक मीटर की गहराई से परे खोदी गई सामग्री भूमि भराव में उपयोग की जानी थी किंतु खोदी गई मिट्टी का डैम में उपयोग करने के लिए एजेंसी के साथ निष्पादित करार दस्तावेज में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (जनवरी 2012) कि बोर होल डाटा के प्राथमिक सर्वेक्षणों तथा अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला था कि वे खोदी गई मिट्टी का इस्तेमाल परवियस सामग्री की विशिष्ट आवश्यकता/ग्रेडेशन के कारण परवियस शैल में कर पाएंगे। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि 5,39,779 क्यूबिक मीटर खोदी गई मिट्टी में से 2,63,170 क्यूबिक मीटर मिट्टी एक मीटर से अधिक गहराई से खोदी गई थी जिसमें से 2,26,326³ क्यूबिक मीटर (86 प्रतिशत) भराव हेतु उपयोग की जा सकी। एजेंसी को खुदाई तथा मिट्टी की इस मात्रा के निपटान हेतु ₹ 1.92⁴ करोड़ का भुगतान किया गया था जो बचाया जा सकता था यदि इस मिट्टी का उपयोग करने के लिए करार दस्तावेज में प्रावधान किया गया होता।

अगस्त 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग ने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया।

² मैसर्स पटेल - ए.आर.एस.एस. ज्वाइंट वेंचर, भुवनेश्वर।

³ 2,26,326 = कट आफ ट्रेंच से खोदी गई कुल मिट्टी का 86 प्रतिशत अर्थात् 2,63,170 क्यूबिक मीटर।

⁴ 2,26, 326 क्यूबिक मीटर, ₹ 85 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से = ₹ 1,92,37,710 अथवा अर्थात् ₹ 1.92 करोड़।

तदनुसार, अक्टूबर 2007 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित भू-वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट सहित उत्तर (सितंबर 2012) प्रस्तुत किया गया था जिसमें विभाग ने बताया कि परवियस शैल में एक मीटर की गहराई से नीचे खोदी गई मिट्टी के उपयोग का उल्लेख अक्टूबर 2007 के अनुमान में गलती से उल्लिखित किया गया था। परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार खोदी जाने वाली अधिकतर मिट्टी परवियस शैल में भरने के लिए 'बहुत उपयुक्त' तथा 'पूर्ण रूप से उपयुक्त' श्रेणी के मध्य पड़ती थी। विभाग ने खोदी गई मिट्टी के 86 प्रतिशत की उपयुक्तता के तथ्य को अनुवर्ती रूप से स्वीकार किया (अक्टूबर 2012) किंतु बताया कि मशीनों के द्वारा खुदाई से भूमि का स्ट्रूटा बिगड़ सकता है जोकि इस खोदी गई मिट्टी को परवियस शैल में उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारतीय मानक (आई.एस. 8826-1978) 'गाइडलाइंस फार डिजाइनस आफ लार्ज अर्थ एंड रॉकफिल डैम्स' का पैरा 8.1 'च्वाइस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैटीरियल अर्थ-डैम' प्रावधान करता है कि डिजाइनर को आवश्यक खुदाइयों से उपलब्ध सामग्री के अधिकतम उपयोग पर लक्ष्य करना चाहिए तथा यह भी कि अनुमान में किए गए प्रावधान, परियोजना के वास्तविक निष्पादन में अनुसरित किए जाने अपेक्षित थे।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि नींव से खोदी गई 86 प्रतिशत मिट्टी परवियस शैल में उपयोग हेतु उपयुक्त थी, परवियस शैल के भराव में इस मिट्टी के उपयोग हेतु करार दस्तावेज में प्रावधान शामिल करने में विभाग के विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभाग

4.1.3 निधियों का नियम विरुद्ध आहरण

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभागों ने बजटीय आबंटनों की शक्ति पर ₹ 228.38 करोड़ की निधियां आहरित की तथा उन्हें समितियों को हस्तांतरित कर दिया जिन्होंने निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखा जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ।

पंजाब खजाना नियमों तथा सहायक खजाना नियमों का नियम 15 (क), जैसाकि हरियाणा में भी लागू है, प्रावधान करता है कि खजाना अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सस्वीकृत सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान करने के लिए सरकार से दावों को वहन करने के लिए धन के आहरण की अनुमति प्रदान कर सकता है। आगे, पंजाब वित्तीय नियमों (पी.एफ.आर.) खंड-1 का नियम 2.10 (ख) 5 प्रावधान करता है कि खजाने से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक यह तुरंत सवितरण के लिए अपेक्षित न हो तथा कि खजाने से उन कार्यों के निष्पादन के लिए अग्रिमों का आहरण अनुमत्य नहीं है जिनकी पूर्णता पर काफी समय लगने की संभावना हो। वित्त विभाग ने भी विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन से आगे निधियां रखने तथा निधियों को अवरोधन की स्वीकृति नहीं दी (फरवरी 2009)।

लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी तथा मई 2012 के मध्य) यह देखा गया कि पांच⁵ विभागों ने छः सोसाइटियों⁶ को 2005-06 से 2010-11 (परिशिष्ट 4.2) के दौरान ₹ 228.38 करोड़ की राशि की निधियां हस्तांतरित की, जोकि एजूसैट के द्वारा शिक्षा देने, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के संवर्धन, बागवानी के विकास तथा रिन्यूवेबल ऊर्जा तथा चालकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा यातायात अनुसंधान के लिए पंजीकृत थी। इन विभागों के बजटीय आबंटनों में से हस्तांतरित की गई ये निधियां सोसाइटियों को न तो सहायतानुदान के संबंध में थी और न ही ऋणों के रूप में तथा ये खजाना नियमों के नियम 15 (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकट भविष्य में सरकार से ढवों को वहन करने के लिए भी प्रदत्त नहीं की गई थी। अतः सोसाइटियों को निधियों का हस्तांतरण नियम-विरुद्ध था।

इस प्रकार, आहरित राशियां, संबंधित विभागों के संबद्ध लेखाशीर्षों के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाई गई थी, जबकि वास्तव में राशियां इन सोसाइटियों द्वारा पूर्णतया खर्च नहीं की गई थी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इन सोसाइटियों के बैंक खातों में अव्ययित पड़ी थी। सोसाइटियों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सावधि जमाओं तथा बचत बैंक खातों में ₹ 75.36 करोड़ रखे जो न केवल पी.एफ.आर. के नियम 2.10 (ख) 5 के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध था।

आगे, पी.एफ.आर. का नियम 2.32 (क) प्रावधान करता है कि नियंत्रण अधिकारी को वित्तीय कार्यवाहियों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए आंतरिक जांच प्रणाली के प्रावधानों की पर्याप्तता हेतु स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि इन छः सोसाइटियों में से चार⁷ विभागीय अधिकारियों के सीधे नियंत्रणाधीन थी किंतु इन सोसाइटियों द्वारा किए गए व्यय पर नियंत्रण अथवा मानीटर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। यह पाया गया था कि उत्कर्ष सोसाइटी ने आपूर्तिकर्ताओं से/खजाने से रिफंड के रूप में ₹ 44.62 करोड़ की राशि प्राप्त की, जैसा **परिशिष्ट 4.3** में इंगित किया गया है, जो सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी किंतु पृथक बैंक खाते में रखी गई थी। सोसाइटी ने वित्त विभाग से कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना इस राशि में से 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 20.34 करोड़ उपयोग किए।

सोसाइटियों को निधियों का हस्तांतरण तथा उसे सरकारी लेखाओं से बाहर रखने के परिणामस्वरूप खजाना नियमों के नियम 15 (क), पी.एफ.आर. के नियम 2.10 (ख) 5 एवं 2.32 क तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन कर इसे नियम-विरुद्ध बना दिया। आगे, इन

⁵ (i) शिक्षा, (ii) श्रम, (iii) बागवानी, (iv) नवीकरण ऊर्जा तथा (v) परिवहन।

⁶ (i) हरियाणा में अध्ययन के पुनरभिमुखीकरण हेतु ज्ञान प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग (उत्कर्ष), (ii) राज्य कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य देखभाल सोसाइटी हरियाणा, (iii) हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी (एच.एस.एच.डी.ए.), (iv) हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (एच.ए.आर.ई.डी.ए.), (v) अशोक लेलेण्ड ड्राईवर प्रशिक्षण संस्थान की सोसाइटी (एस.ए.एल.डी.टी.आई.)।

⁷ (i) उत्कर्ष, (ii) ई.एस.आई. स्वास्थ्य देखभाल सोसाइटी हरियाणा, (iii) एच.एस.एच.डी.ए. तथा (iv) एच.ए.आर.ई.डी.ए.।

सोसायटियों द्वारा निधियों का प्रयोग न किए जाने से, उन्हें निधियां जारी करने के उद्देश्य पूर्णता प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग ने नवंबर 2012 में आयोजित एग्जिट काफ़ेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि इस मामले पर वित्त विभाग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए (फरवरी 2009) थे जिनका भविष्य में अनुसरण किया जाएगा।

मामला हरियाणा सरकार के श्रम, परिवहन, कृषि तथा नवीकरण ऊर्जा विभागों के अपन-मुख्य सचिवों तथा प्रधान सचिवों को भी संदर्भित किया गया था, किंतु उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2013)।

4.2 औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय

सार्वजनिक निधियों से व्यय का प्राधिकरण, सार्वजनिक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित किया जाना होता है। व्यय करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता प्रवर्तित करने की आशा की जाती है जैसा सामान्य ज्ञान का एक व्यक्ति अपने निजी धन के संबंध में करेगा तथा प्रत्येक कदम पर वित्तीय औचित्य एवं कड़ी मितव्ययिता प्रवर्तित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के उदाहरण पता लगाए हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं:

विधायी विभाग (हरियाणा विधान सभा)

4.2.1 मुफ्त यात्रा सुविधा के भुगतान में अनियमितताएं

अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए ₹ 1.22 करोड़ की राशि आहरित की गई।

हरियाणा विधान सभा (सदस्यों के भत्ते तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 (1) विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त यात्रा सुविधा हेतु प्रावधान करती है जो उसे (उसके पारिवारिक सदस्यों सहित) परिवहन के किसी भी साधन के माध्यम से भारत अथवा भारत के बाहर किसी स्थान की यात्रा करने तथा ₹ दो लाख प्रतिवर्ष तक सीमित की गई प्रतिपूर्ति के लिए हकदार बनाती है। आगे, हरियाणा विधान सभा सदस्य (मुफ्त पारगमन) नियम, 1976 का नियम 3 प्रावधान करता है कि एम.एल.एज (उसके पारिवारिक सदस्यों सहित) द्वारा की गई यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, धन के उपयोग के संबंध में 'मात्र विवरणी' प्रस्तुत करने पर सदस्यों को की जाएगी।

सचिव, विधान सभा हरियाणा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (जनवरी तथा फरवरी 2012) राज्य की 11वीं तथा 12वीं विधान सभा के एम.एल.एज को मुफ्त यात्रा सुविधा दावों के भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

(क) उसी अवधि के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा तथा यात्रा भत्ता दोनों का भुगतान

हरियाणा विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) नियम 1976 का नियम 9 प्रावधान करता है कि विधान सभा के सदस्य (एम.एल.एज) विधान सभा के सत्र अथवा समिति के बैठक में भाग लेने के प्रयोजन हेतु अथवा कर्त्तव्यों के साथ संबद्ध स्पीकर के आदेशों के अंतर्गत किसी अन्य बिजनेस में भाग लेने के प्रयोजन हेतु सदस्य के रूप में उसके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां सत्र अथवा बैठक आयोजित की जाती है अथवा अन्य बिजनेस संपादित किया जाता है, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के लिए तथा ऐसे स्थान से उनके सामान्य निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता (टी.ए.) का दावा करने के लिए हकदार हैं।

हरियाणा विधान सभा (एच.वी.एस.) के पन्द्रह सदस्यों ने उसी अवधि, जिसके दौरान उन्होंने देश में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 23.20 लाख की राशि का दावा किया था, के लिए यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिल प्रस्तुत किए। उसी अवधि/तिथियों के लिए टी.ए. तथा मुफ्त यात्रा सुविधा दावों दोनों का भुगतान नियमानुसार नहीं था। इस प्रकार, **परिशिष्ट 4.4** में दिए गए विवरणानुसार मुफ्त यात्रा सुविधा के कारण इन सदस्यों को ₹ 23.20 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

सचिव, हरियाणा विधान सभा ने 28 सितंबर 2012 को आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि मुफ्त यात्रा सुविधा के अंतर्गत यात्रा के लिए ₹ 0.21 लाख का अतिरिक्त भुगतान एक एम.एल.ए. (श्री अनिल विज) से वसूल कर लिया गया था तथा शेष 14 एम.एल.एज के संबंध में लेखन-अशुद्धि थी क्योंकि शब्द “मेरे द्वारा की गई यात्रा” संबंधित एम.एल.एज द्वारा उनके दावे प्रस्तुत करते समय प्रमाण-पत्र में काटा नहीं गया था, क्योंकि वास्तविक यात्राएं उनकी पत्नियों अथवा बच्चों द्वारा की गई थी। संबद्ध अभिलेखों के सत्यापन में इंगित किया कि बिल यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया था कि यात्रा एम.एल.ए. द्वारा की गई थी न कि उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा और इसी लिए दावा अनियमित है।

(ख) एक वर्ष में दो बार मुफ्त यात्रा सुविधा का भुगतान

मुफ्त यात्रा सुविधा प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ दो लाख तक ही स्वीकार्य थी परंतु लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 12वीं हरियाणा विधान सभा के लिए पुनः चुने गए 26 सदस्यों को सितंबर 2009 तथा मार्च 2010 के बीच मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई जबकि वे, अप्रैल 2009 से जुलाई 2009 के बीच 11वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहते इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 26 सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.73 लाख का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.5** में दिया गया है।

सितंबर 2012 को हुए एग्जिट सम्मेलन के दौरान हरियाणा विधान सभा के सचिव ने कहा कि मुफ्त यात्रा सुविधा केवल उन विधान सभा सदस्यों को एक ही वर्ष में दो बार दी गई थी जोकि नई विधान सभा में पुनः चुने गए थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि इन विधान सभा सदस्यों ने इस मुफ्त

यात्रा सुविधा का वित्तीय वर्ष 2009-10 में दो बार लाभ लिया था। इस पर, लेखापरीक्षा के मत से सहमत होते हुए सचिव ने कहा कि उक्त मामला उपचारी उपाय करने हेतु हरियाणा विधान सभा के स्पीकर के संज्ञान में लाया जायेगा।

(ग) मुफ्त यात्रा सुविधा के अधीन अनियमित भुगतान

सचिव, हरियाणा विधान सभा के अभिलेखों की नमूना-जांच (जनवरी तथा फरवरी 2012) से प्रकट हुआ कि अधिनियम में प्रतिवर्ष एक यात्रा करने के लिए गए प्रावधानों की बजाय 2006 से 2009 के मध्य 24 विधान सभा सदस्यों तथा उनके परिवारों ने एक से अधिक बार मुफ्त यात्राएं कीं। मुफ्त यात्रा सुविधा के अधीन उन्होंने अपने द्वारा व्यय किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के दावे एक से अधिक बार किए और एक वर्ष में अपनी एक यात्रा के बाद की यात्राओं (परिशिष्ट 4.6) के लिए ₹ 47.61 लाख आहरित किए। जैसे कि अधिनियम की धारा 7 में प्रतिवर्ष विधानसभा सदस्य और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लेने का प्रावधान है न कि एक ही वर्ष में एक से अधिक यात्राओं के लिए, इसलिए एक ही वर्ष में उन्हीं विधानसभा सदस्यों द्वारा एक यात्रा के पश्चात् की गई यात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत करना अनियमित है। इनमें से 12 विधान सभा सदस्यों ने मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए एक ही दिन में 3 से 32 दिन तक औसतन 500 कि.मी. से 1214 कि.मी. (परिशिष्ट 4.7) तक की दूरी की यात्राएं की। इन प्रस्तुत किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण संलग्न न होने से लेखापरीक्षा में दावों की वैधता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस मामले में इंगित करने पर हरियाणा विधान सभा सचिव ने जून 2012 में सूचित किया कि विधान सभा सदस्य तथा उन पर निर्भर पारिवारिक सदस्य भारत में अथवा भारत के बाहर किसी भी स्थान तक की यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने और एक से अधिक बार की गई यात्राओं के व्यय की प्रतिपूर्ति पाने के हकदार हैं और नियमों में इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में 'बार-बार की गई यात्राओं' जैसे शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसमें ऐसी 'यात्रा' पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का उल्लेख है न कि 'यात्राओं' पर।

इसके अतिरिक्त, आदान एवं सवितरण और नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.10) में निहित सामान्य सिद्धांत एवं प्रतिबंध हरियाणा पर भी लागू होते हैं जिनके अनुसार राज्य के राजस्व से व्यय करने अथवा व्यय को स्वीकृति प्रदान करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राधिकारियों को ऐसे आदेश जिनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनको स्वयं लाभ मिलता हो, को पारित करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे भत्ते, जैसे यात्रा जो कि विशेष तरह के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं को इस तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि यह प्राप्तकर्ता के लिए कुल मिलाकर लाभ का स्रोत न बने।

लेखापरीक्षा ने आगे यह अवलोकित किया कि उपर्युक्त नियमों को विधान सभा द्वारा इस ढंग से बनाया गया था कि मुफ्त यात्रा सुविधा के प्रावधान उसके अपने सदस्यों के लिए लाभ का साधन सिद्ध हों और ये प्रावधान वित्तीय औचित्य की भावना के विरुद्ध थे। किसी भी तरह के व्यय की

प्रतिपूर्ति को पारित करने के लिए उदाहरण के लिए यात्रा संबंधी दावे, भुगतान हेतु पारित किए जाने के लिए खजाना अधिकारी द्वारा विश्वास किए जाने हेतु बिल अथवा वाउचरों का होना जरूरी है। मूल दस्तावेजों जैसे कि बिल अथवा वाउचरों के स्थान पर 'केवल विवरणी' का उपयोग, ऐसे दावों को शासित करने वाले खजाना नियमों की भावना के विपरीत है। क्योंकि 'केवल विवरणी' के आधार पर व्ययों की प्रतिपूर्ति वित्तीय औचित्य के भी विरुद्ध थी, व्यय किए गए ऐसे खर्च को लेखापरीक्षा में वाउचर से सुरक्षित नहीं माना जा सकता और जाली दावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बाद में की गई यात्राओं के लिए ₹ 47.61 लाख का आहरण अनियमित था।

28 सितंबर 2012 को हुए एग्जिट सम्मेलन के दौरान हरियाणा विधान सभा के सचिव ने कहा कि मामला पुर्नविचार तथा नियमों में यथोचित संशोधन हेतु माननीय हरियाणा विधान सभा के स्पीकर के संज्ञान में लाया जायेगा।

न्याय प्रशासन विभाग (महा अधिवक्ता)

4.2.2 विधि अधिकारियों का दोषपूर्ण चयन

बिना वर्कलोड के आकलन और बिना आवेदन मांगने के विधि अधिकारियों को काम पर रखे जाने से ₹ 2.22 करोड़ का बेवजह भुगतान हुआ।

हरियाणा सरकार की ओर से विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों तथा कमीशनों में विधिक केस लड़ने के लिए न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा सरकार का अतिरिक्त मुख्य सचिव निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुबंध आधार पर भिन्न-भिन्न हैसियत में विधि अधिकारियों को लगाता है।

इन विधि अधिकारियों को सौंपे गए कार्य तथा इनके द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के सत्यापन हेतु महा अधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय में अनुरक्षित रिकार्ड में से रैंडम ढंग से किए गए चयन के आधार पर दिसंबर 2009 से जनवरी 2012 के बीच के छः माह⁸ के दैनिक ड्यूटी रजिस्टर, वैटिंग रजिस्टर व न्यायालय की केस सूची के पूर्ण रिकार्ड की मई 2012 में नमूना-जांच की गई तथा निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

- अनुबंध आधार पर रखे गए विधि अधिकारियों को सौंपे गए कार्य के मूल्यांकन की कोई निर्धारित विधि नहीं थी। चंडीगढ़ में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों में पैरवी के लिए लगाए गए विधि अधिकारियों की संख्या दिसंबर 2009 में 98 से बढ़कर जनवरी 2012 में 179 हो गई थी जबकि इसी अवधि में जिन न्यायालयों में इन अधिकारियों को केसों की पैरवी करनी थी, उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं आया था।
- विधि अधिकारियों को बिना विज्ञापन दिए अथवा व्यापक प्रचार के रखा गया।

⁸ दिसंबर 2009, अगस्त 2010, नवंबर 2010, मार्च 2011, नवंबर 2011 तथा जनवरी 2012

- नमूना-जांच किए गए महीनों में, औसतन 50 प्रतिशत से अधिक विधि अधिकारी बिना कार्य के ही रहे। जैसा कि तालिका-2 में ब्यौरा दिया गया है, दिसंबर 2009 में खाली बैठे विधि अधिकारियों का औसत प्रतिशत कुल उपलब्ध संख्या के विरुद्ध 54 से बढ़कर जनवरी 2012 में 78 हो गया था। विभाग द्वारा इन विधि अधिकारियों को सौंपे गए कार्य की मानीटरिंग नहीं हो रही थी।

खाली बैठे विधि अधिकारियों (एलॉओ) एवं उन्हें बिना कार्य दिए गए वेतन का विवरण

माह	काम पर रखे एल.ओ. की संख्या	माह में उपलब्ध कार्य दिवस (न्यायालय अवकाश तथा छुट्टियों को छोड़कर)	माह के खास दिनों पर बिना कार्य रहे एल.ओ. की औसत संख्या	खाली रहे एल.ओ. की प्रतिशतता	उन एल.ओ. की संख्या जो पूरा माह खाली रहे	पूरे माह खाली रहने पर भी एल.ओ. को भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि (₹ में)
दिसंबर 2009	98	11	54	55	20	10,33,872
अगस्त 2010	137	21	70	51	27	19,40,983
नवंबर, 2010	151	18	100	66	42	30,88,534
मार्च 2011	153	22	97	63	58	42,21,554
नवंबर 2011	169	21	123	73	63	49,51,868
जनवरी 2012	179	20	140	78	87	69,48,786
विधि अधिकारियों को बिना कोई कार्य सौंपे, वेतन का किया गया कुल भुगतान।						2,21,85,597 अर्थात् ₹ 2.22 करोड़

(स्रोत: - महा अधिवक्ता के कार्यालय में अनुरक्षित दैनिक ड्यूटी रोस्टर तथा वैटिंग रजिस्टर)

- नमूना-जांच किए गए महीनों में, 20 से 87 तक की संख्या में विधि अधिकारी ऐसे थे जिन्हें पूरे माह कोई कार्य नहीं सौंपा गया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवरणानुसार इन विधि अधिकारियों को छः माह तक खाली बैठने पर ₹ 2.22 करोड़ के वेतन का बेवजह भुगतान हुआ।

जनवरी 2012 में, कुल कार्यरत 179 विधि अधिकारियों में से औसतन 140 को कोई भी कार्य नहीं सौंपा गया और 87 विधि अधिकारी पूरे माह ही खाली रहे थे। यद्यपि बाद में विभाग ने जून 2012 में 26 विधि अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधि अधिकारियों को, बिना यह देखे कि विभाग में कितना कार्य है और उसके लिए कितने अधिकारियों की आवश्यकता होगी, कार्य पर रख लिया गया। इन विधि अधिकारियों को कार्य पर लगाने से पूर्व, इस तरह का कोई निर्धारण नहीं किया गया।

इस मामले पर, 23 अक्टूबर 2012 को हुई एक एग्जिट कान्फ्रेंस में न्यायिक विभाग के प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान ऐसा कहा गया कि कितना कार्य है इसी आधार पर खाली पदों का निर्धारण किया जाये, ऐसे दिशा निर्देश होने चाहिए और विधि अधिकारियों का चयन पारदर्शी ढंग से किया जाये। विभाग को विधि अधिकारियों की बेकारी की उच्च प्रतिशतता के बारे में सदेह था और उसने जवाब में कहा (नवंबर 2012) कि यद्यपि आमतौर से एक से अधिक विधि अधिकारियों के दल को कार्य सौंपा जाता था परंतु दैनिक ड्यूटी रोस्टर में केवल एक ही विधि अधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाता था। आगे यह

कहा गया कि ये विधि अधिकारी कई तरह के ड्यूटी कार्य करते थे जैसे किन्हीं विशिष्ट मामलों के लिए कानून में खोज/शोध करना, नवीनतम केस लॉ की सामान्य अपडेटिंग, वास्तविक एवं विधिक नोट्स तैयार करना, संक्षेप अथवा निर्णयों का सार संग्रह तैयार करना इत्यादि। यद्यपि, इन सौंपे गए कार्यों का रिकार्ड रखने की जरूरत अथवा अनिवार्यता को महसूस नहीं किया गया क्योंकि संबंधित विधि अधिकारी उन्हें सौंपे गए केसों के संबंध में सभी कार्य करने के लिए उत्तरदायी थे।

विभाग की यह धारणा कि दैनिक ड्यूटी रोस्टर में टीम के सारे सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एग्जिट सम्मेलन के बाद पुनः सत्यापन करने पर पाया गया कि जहां पर किसी टीम को किसी विशेष कार्य के लिए लगाया गया था वहां पर टीम के सभी सदस्यों के नामों का उल्लेख था।

इस प्रकार, कार्य की प्रमात्रा का बिना निर्धारण किए आवश्यकता से अधिक विधि अधिकारी रखने एवं किसी स्पष्ट तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाए जाने के फलस्वरूप, न केवल 50 प्रतिशत विधि अधिकारी खाली रहे बल्कि इस वजह से ₹ 2.22 करोड़ के वेतन का बेवजह भुगतान हुआ।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

4.2.3 सड़क के एक ही भाग के पुनर्निर्माण पर परिहार्य व्यय

सड़क के एक ही हिस्से को चौड़ा करने और संवर्द्धन करने पर लोक निर्माण विभाग तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यय करने से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत सरकार, जहाजरानी, सड़क यातायात एवं राजमार्ग (एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच.) ने “सोनीपत-खरखोदा-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क जिसमें सांपला कस्बे में झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक 0 से 1.685 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल था” को चौड़ा करने एवं संवर्द्धित करने के निर्माण कार्य को केंद्रीय सड़क निधि के अधीन ₹ 3.80 करोड़ में कराने की प्रशासनिक मंजूरी दी (अगस्त 2007)। अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) रोहतक सर्कल, रोहतक ने नवंबर 2007 में निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् दिसंबर 2007 में एक एजेसी (मै. गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी) को 3 सड़कों के पैकेज⁹ जिसमें सांपला कस्बे में झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक का हिस्सा भी शामिल था, 9 माह की अवधि में ₹ 11.11 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ करने के लिए निर्माण कार्य को आबंटित किया। इस एजेसी ने मार्च 2009 में ₹ 11.11 करोड़ की

⁹ सड़कें चौड़ी एवं संवर्द्धित की जानी थी:

- i पुराने रोहतक से दिल्ली रोड़ दो लेन से चार लेन करना।
- ii सोनीपत-खरखोदा-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क (सांपला कस्बे में 0 से 1.685 कि.मी. की लंबाई की झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक की सड़क सहित)।
- iii सांपला शहर में रेलवे सड़क।

लागत पर निर्माण कार्य को पूर्ण कर दिया, जिसमें उपर्युक्त सड़क के निर्माण पर किया गया ₹ 2.43 करोड़ का व्यय शामिल था। ठेके की शर्तों के अनुसार, इस एजेसी को निर्माण कार्य पूर्ण होने की दिनांक अर्थात् मार्च 2009 से 2 वर्ष के दौरान इस सड़क में हुई क्षतियों की मरम्मत के व्यय को वहन करना था और इस सड़क की 5 वर्ष तक देखरेख करनी थी।

जुलाई 2011 में, कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) प्रोविशियल मंडल नं. 1, रोहतक के अभिलेखों की नमूना-जांच में यह देखा गया कि यद्यपि यह निर्माण कार्य मै0 गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा था, परंतु हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.डी.सी.) ने मई 2008 में निर्माण कार्य “दो सड़कों¹⁰ को चौड़ाकर सुधार करने, संवर्द्धित करने पुनः निर्माण करने, ऊपर उठाने इत्यादि का कार्य” एक अन्य एजेसी (मै. यूनिटी बी.बी.इ.एल. ज्वाइंट वैचर) को ₹ 240.44 करोड़ में आबंटित कर दिया था। यह कार्य अभी चल ही रहा था और फरवरी 2011 तक ₹ 120.07 करोड़ का व्यय इस पर किया जा चुका था। रिकार्ड की आगे जांच से प्रकट हुआ कि 52.02 कि.मी. से 53.705 कि.मी. के बीच पड़ने वाला सोनीपत-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क एस.एच.-20 का भाग) 0 से 95.150 कि.मी. का हिस्सा सोनीपत-खरखोदा-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क (सांपला कस्बे में झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक का 0 से 1.685 कि.मी. का भाग) वाला हिस्सा ही था, जिसको चौड़ा कराने तथा संवर्द्धन का कार्य कार्यकारी अभियंता, प्रोविशियल मंडल नं. 1, रोहतक द्वारा दिसंबर 2007 तथा मार्च 2009 के बीच कराया गया था और यह ठेके के अनुच्छेद 1.1 और 35 के अनुसार सड़क को होने वाली क्षति के प्रति ठेकेदार की दायित्व अवधि के अधीन था। एच.एस.आर.डी.सी. ने मई 2008 तथा सितंबर 2010 के बीच सड़क के इस हिस्से को चौड़ा करने एवं संवर्द्धित करने के लिए ₹ 1.07 करोड़ का भुगतान किया था। 52.02 कि.मी. से 53.370 कि.मी. अर्थात् 0.370 कि.मी. लंबी विटुमन परत के कारण केवल ₹ 4.44 लाख ही मार्च 2011 तक वसूल किए गए थे और सड़क के शेष हिस्से के लिए दिसंबर 2012 तक कोई वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार सड़क के पहले से चौड़े और संवर्द्धित हो चुके हिस्से पर एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा किए गए (₹ 1.07 करोड़ घटा ₹ 0.04 करोड़) ₹ 1.03 करोड़ के व्यय को बचाया जा सकता था।

इस बारे में जुलाई 2011 में इंगित करने पर ई.ई. प्रोविशियल मंडल नं. 1 रोहतक ने नवंबर 2011 में सूचित किया कि एच.एस.आर.डी.सी. को सड़क के हो चुके हस्तांतरण संबंधी तथ्य के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर, एच.एस.आर.डी.सी. ने जनवरी 2012 में कहा कि निर्माण कार्य लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कराया गया था। इन जवाबों से यह स्पष्ट होता है कि लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कराया गया था। इन जवाबों से यह स्पष्ट होता है कि लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) के अधीन काम करने के बावजूद लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) तथा एच.एस.आर.डी.सी. के बीच तालमेल की कमी थी।

लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) के प्रधान सचिव के साथ नवंबर 2012 में हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में इंजीनियर-इन-चीफ ने कहा कि प्रथम निर्माण कार्य में ई.ई. प्रोविशियल मंडल नं. 1 रोहतक ने

¹⁰ (i) सोनीपत-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क (एस.एच.-20 का भाग) 0 से 95.150 कि.मी. तथा
(ii) गुड़गांव-फर्रुखाबाद-झज्जर सड़क (राज्य राजमार्ग 15-क)।

सड़क का दिन प्रतिदिन होने वाला रख-रखाव का कार्य ही किया था जबकि एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा कराए गये द्वितीय निर्माण कार्य में अधिक उम्दा विशिष्टियों के साथ पूरी सड़क को चौड़ा तथा संवर्द्धित किया गया था। विभाग का यह विचार स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रथम निर्माण कार्य केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) स्कीम के अधीन पहले से मौजूद कैरिज-वे को चौड़ा करने और संवर्द्धित करने सहित पूर्ण एम.ओ.आर.टी. एंड एच विशिष्टियों के साथ एम.ओ.आर.टी. एंड एच., भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत किया गया था जिसमें बाद में कराए गए निर्माण कार्य जैसी ही बिटुमन माकादम, टैककोट तथा प्रिमिक्स कारपैट की विशिष्टियां शामिल थी। इस प्रकार किए गए इस निर्माण कार्य की क्षति होने पर ठेकेदार के दायित्व की अवधि अभी रहती थी जिसके लिए लो.नि.वि. (भ. व स.) की दोनों निर्माण कार्य कराने वाली इन एजेंसियों के बीच कोई तालमेल नहीं था।

इस प्रकार, लो.नि.वि. (भ. व स.) की दो निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल के अभाव, जिसके कारण उन्होंने एक ही सड़क के 6 माह की अवधि के भीतर ही दो बार चौड़ा करने एवं संवर्द्धित करने की अनदेखी की जिसकी वजह से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

4.2.4 मंहगी सामग्री के क्रय पर परिहार्य व्यय

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ने कम लागत वाली निम्न कार्बन वाली गल्वेनाइज्ड केज टाईप की वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) स्क्रीनों के स्थान पर उच्च लागत वाली लोहे के केज टाईप की वायर वाऊंड (एस.एस.) स्क्रीनें खरीदीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

पंजाब वित्तीय नियम (जो कि हरियाणा पर लागू होते हैं) के (नियम 15.2) के अनुसार भण्डारण योग्य वस्तुओं की खरीद सबसे अधिक किफायती ढंग से, सार्वजनिक सेवा की निश्चित जरूरतों के अनुरूप की जानी चाहिए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग के मुख्य अभियंताओं की, इंजीनियर-इन-चीफ (ई.आई.सी.) के सभापतित्व में अगस्त 2010 में हुई बैठक में सोच विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ट्यूबवैलों का जल्द खराब न होना मुख्यतः ट्यूबवैलों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली स्क्रीन के टिकाउपन पर निर्भर करता है। इस तर्क के साथ कि एस.एस. स्क्रीन को जंग नहीं लगेगा और फिल्टर की जगह में भी कमी नहीं आयेगी, ट्यूबवैलों की बोरिंग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निम्न कार्बन वाली गल्वेनाइज्ड केस टाईप की वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) के स्थान पर स्टेनलैस स्टील केज टाईप की वायर (एस.एस.) स्क्रीन खरीदने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व ई.आई.सी. ने सितंबर 2009 में अंबाला, करनाल, सोनीपत तथा गुड़गांव पी.एच.ई. सर्कलों से वहां पहले ही प्रयोग की जा रही एल.सी.जी. स्क्रीनों की परफोरमेंस के बारे में वहां के अधीक्षक अभियंताओं (एस.ई.) से उनकी टिप्पणी मांगी थी। परंतु उनकी टिप्पणियों के प्राप्त होने से पूर्व ही ई.आई.सी. ने पी.एच.ई.

मंडल नं. 2 फरीदाबाद एवं पी.एच.ई. मंडल सोहना के लिए दिसंबर 2010 में 922¹¹ मीटर पाईपों की आपूर्ति के आदेश दे दिए।

आदेशों के क्रियान्वयन के दौरान, पी.एच.ई. सर्कल, गुड़गांव के एस.ई. ने जनवरी 2011 में ई.आई.सी. को बताया कि सोहना तथा फरीदाबाद क्षेत्रों के ट्यूबवैल तीन से छः वर्ष के लिए ओर सुचारू रूप से कार्य कर सकते थे और ऐसे में कम लागत वाली एल.सी.जी. स्क्रीन के स्थान पर अधिक लागत वाली एस.एस. स्क्रीन बदलने का कोई फायदा नहीं है। एल.सी.जी. स्क्रीन की कीमत ₹ 4,572.95 प्रति मीटर थी जबकि एस.एस. स्क्रीन ₹ 14,251.50 प्रति मीटर की दर से खरीदी गई। इन स्क्रीनों के मूल्यों में ₹ 9,678.55 प्रति मीटर का अंतर था। माल की आपूर्ति जनवरी 2011 में की गई और ₹ 1.30 करोड़ का भुगतान मार्च 2011 में किया गया। इन मंडलों को आपूर्तित 922 मीटर पाईप में से इन मंडलों द्वारा 509 मीटर पाईप का ट्यूबवैलों में प्रयोग किया गया (जनवरी 2013)।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.), जल-संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2007 में कराए गए अध्ययन में प्रकट हुआ कि गुड़गांव जिले के फरीदाबाद एवं सोहना क्षेत्र में ट्यूबवैलों के बार-बार खराब हो जाने के मामले आम थे। ट्यूबवैल अधिकतम 4 से 5 वर्ष तक ही ठीक रहते थे और जल के डिस्चार्ज में कमी के कारण बेकार हो जाते थे अथवा जल गाद भरा हो जाता था। ट्यूबवैलों के दीर्घ समय तक न चलने के पीछे एक रासायनिक क्रिया कारण बनती है जिसे पपड़ी चढ़ाना कहा जाता है। जल, स्क्रीन की सतह तथा स्क्रीन के बाहरी ओर बिल्कुल साथ ही संघटन के छिद्रों पर खनिज पदार्थों को जमा करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार स्क्रीन के द्वार और स्क्रीन के बाहर की ओर बिल्कुल साथ ही संघटन के छिद्रों के बंद होने की वजह से ट्यूबवैलों से पानी के निकलने में कमी आ जाती है। इन क्षेत्रों में जल की पी.एच.¹² 7.5 से भी अधिक है, जिसके कारण ट्यूबवैलों का काम करना बंद कर देना आम बात है। पपड़ी चढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड ने ट्यूबवैलों को म्युरियटिक अम्ल से आवधिक उपचार करने की सिफारिश की थी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. की रिपोर्ट के मद्देनजर एस.एस. स्क्रीन को निम्नतर करना सही नहीं था और इसकी बजाय पपड़ी जमने की समस्या को हल करने के लिए यथोचित उपाय किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसे में विभाग द्वारा बिना मांग एवं उपयुक्तता का निर्धारण किए इतनी महंगी सामग्री को प्रयोग किए जाने का निर्णय लिए जाने से एस.एस. स्क्रीन की खरीद पर ₹ 89 लाख¹³ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

इस बारे में सितंबर 2011 में इंगित किए जाने पर ई.आई.सी. ने अक्टूबर 2011 में सूचित किया कि कुछ समय पश्चात् एल.सी.जी. स्क्रीन को जंग लग जाता था और फिल्टर की जगह कम हो जाती थी जिससे ट्यूबवैलों के जल निकालने में कमी आ जाती थी और अंततः वे बेकार हो जाते थे।

¹¹ पी.एच.ई. मंडल नं. 2 फरीदाबाद को 422 मीटर तथा पी.एच.ई. मंडल, सोहना को 500 मीटर।

¹² पी.एच. का अर्थ है "हाइड्रोजन की क्षमता अथवा हाइड्रोजन की शक्ति"। पी.एच. वास्तव में हाइड्रोजन आयनों (ओ.एच.) के प्रति हाइड्रोनियम आयनों (एच.3ओ.) का अनुपात। किसी पी.एच. से उदासीन तरल में पी.एच. का 7 होता है जबकि अति तेज अम्लों में यह 1 के आसपास होता है तथा सबसे तेज क्षारों में पी.एच. की संख्या 14 के निकट होती है।

¹³ ₹ 9678.55 (₹ 14,251.50 - ₹ 4,572.95) / मीटर x 922 मीटर = ₹ 8,923.623 अर्थात् ₹ 89 लाख।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उस क्षेत्र में ट्यूबवैलों में समस्या जंग लगने के कारण नहीं थी वरन् पपड़ी बनने के कारण थी और एल.सी.जी. स्क्रीन के बारे में क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए एल.सी.जी. स्क्रीन से कोई लाभकारी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और विभाग द्वारा पहले से प्रयोग में लाई जा रही स्क्रीन की बजाय मंहगी स्क्रीन खरीदे जाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था तथा उसमें वित्तीय औचित्य की कमी थी।

इस विषय पर अगस्त 2012 में हुई एक एग्जिट कान्फ्रेंस में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव से चर्चा की गई जिसमें यह सूचित किया गया कि एल.सी.जी. स्क्रीन केवल पिछले दो से तीन वर्ष से प्रयोग में लाई जा रही थी, ऐसे में इन पाईपों की उपयुक्तता के बारे में अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया था। प्रधान सचिव ने सूचित किया कि कुछ ही समय में इसका अध्ययन किया जायेगा एवं परिणामों के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। अंतिम जवाब की अभी प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2012)।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

4.2.5 चमक रहित गेहूं के प्रापण से हानि

कैथल और कुरुक्षेत्र के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों ने भारतीय खाद्य निगम के लिए चमक रहित गेहूं का प्रापण किया जिस वजह से उन्हें मिलने वाली धन वापसी राशि में से ₹ 1.46 करोड़ की कटौती की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ी।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भारतीय खाद्य निगम की ओर से केंद्रीय पूल के लिए भारत सरकार द्वारा निश्चित किए गए निम्नतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर उचित औसत गुण (एफ.ए.क्यू.) वाले अनाज का प्रापण करता है और उसे एफ.सी.आई. के निर्देशानुसार वितरित करता है। विभाग, भारत सरकार द्वारा नियत किए गए एम.एस.पी. के अनुसार बिल प्रस्तुत करता है और एफ.सी.आई. उसी अनुसार राशि का भुगतान करता है। विशिष्ट मौसमों के लिए भारत सरकार द्वारा एक जैसी विशिष्टियों के आधार पर अनाज की एफ.ए.क्यू. की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) एवं उसका स्टाफ उत्तरदायी हैं। रबी विपणन मौसम (आर.एम.एस.) 2009-10 के लिए सभी तरह के गेहूं तथा जौ की खरीद हेतु एक समान विशिष्टियों में कहा गया है कि गेहूं प्राकृतिक आकार, संरचना, रंग एवं चमक वाला होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने दो जिलों¹⁴ के रिकार्ड की सितंबर 2011 तथा फरवरी 2012 में की नमूना-जांच में पाया कि इन दोनों जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने आर.एम.एस. 2009-10 के लिए अप्रैल से मई 2009 के दौरान बिना चमक वाला 5,37,173 मीट्रिक टन गेहूं गुण में कमी¹⁵ के कारण बिना मूल्य में कोई कमी किए खरीदा। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति ने जुलाई 2009 में भारत सरकार से

¹⁴ कैथल तथा कुरुक्षेत्र।

¹⁵ वर्षा की वजह से गेहूं की चमक की हुई हानि।

प्रार्थना की, कि वह एफ.सी.आई. को चमक रहित गेहूं को स्वीकार करने की हिदायत दे। भारत सरकार ने सितंबर 2010 में, खरीदे गए गेहूं की गुणवत्ता में इस हद तक ढील दी कि 10 प्रतिशत तक प्रभावित दानों वाली गेहूं को बिना उसके मूल्य में किसी प्रकार की कमी किए स्वीकार कर लिया जाये और 11 से 49 प्रतिशत प्रभावित दानों वाली गेहूं को एक पूर्ण कीमत एम.एस.पी. पर एक चौथाई की कटौती करके स्वीकार किया जाये।

इन डी.एफ.एस.सी. ने जुलाई 2010 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान 11 से 49 प्रतिशत तक प्रभावित दानों वाले चमक रहित 69,714 मीट्रिक टन गेहूं की सुपुर्दगी दी। एफ.सी.आई. ने इन डी.एफ.एस.सी. को धन वापसी में से कटौती कर दावों में से ₹ 1.46 करोड़ की कटौती कर ली।

इस प्रकार, चमक रहित गेहूं के प्रापण मूल्य में किसी तरह की कटौती न करने से और एफ.सी.आई. , जिसकी ओर से गेहूं खरीदा गया था, से पहले ही अनुमति प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 1.46 करोड़ की हानि हुई।

सितंबर 2012 में हुई एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) ने कहा कि गेहूं का प्रापण, एफ.सी.आई. की सहमति के बाद ही किया गया था और यह कि उसी गुणवत्ता वाला गेहूं अन्य जिलों द्वारा खरीदा गया एवं उसी की आपूर्ति की गई थी, जिसके लिए एफ.सी.आई. द्वारा मूल्य में कटौती नहीं की गई थी। आगे, ए.सी.एस. ने कहा कि इस मामले को एफ.सी.आई. के साथ पुनः विचार करने हेतु उठाया जायेगा और इस प्रकार प्रापण की धनराशि में से की गई कटौती को देने के लिए कहा जायेगा।

सरकार की मंशा को विभाग में उपलब्ध रिकार्ड से परिपुष्ट नहीं किया जा सका। मामले में आगे की गई कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2012)।

परिवहन विभाग

4.2.6 बस चैसियों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

आपसी सहमति से निर्धारित कीमतों पर विचार किए बिना टाटा कंपनी की 337 बस चैसियों की खरीद करने से ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

भण्डार हेतु वस्तुओं के प्रापण के लिए सरकार ने जून 2010 में एक उच्च शक्ति प्राप्त खरीद कमेटी (एच.पी.पी.सी.) का गठन किया, राज्य के वित्त मंत्री जिसके अध्यक्ष बनाए गए। सभी सरकारी विभागों को ₹ 30 लाख से अधिक के सामान की खरीद के मांग पत्रों को प्रापण एवं प्रस्तावों को उच्च शक्ति प्राप्त कमेटी के विचार हेतु एवं खरीद के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए निदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डी.एस. एंड डी.) को प्रस्तुत करना था।

सरकार ने 20 रोड़वेज डिपो के लिए “हरियाणा शक्ति” किस्म की 673 बसों को खरीदने की मंजूरी दे दी। इन डिपो में से प्रत्येक 10 के पास मैसर्स टाटा मोटर्स (टाटा) की तथा मैसर्स अशोका

लेलैंड लिमिटेड (लेलैंड) की बसें थी। बस फ्लीट में वृद्धि करने के विचार से और बसों को उसी कंपनी की बसों से बदले जाने के लिए महानिदेशक राज्य परिवहन (डी.जी.एस.टी.) ने जून 2010 में इन दोनों बस निर्माताओं से बस चैसियों की खरीद हेतु कुटेशनें मांगी। जवाब में, टाटा और लेलैंड ने जून 2010 में क्रमशः ₹ 9.63 लाख एवं ₹ 9.77 लाख प्रति चैसी (उत्पाद शुल्क एवं वैट सहित) रेट दिए। डी.जी.एस.टी. ने प्रापण की संख्या कम करके टाटा की 241 बस चैसियां खरीदने का प्रस्ताव दिया जिस पर एच.पी.पी.सी. द्वारा 7 सितंबर 2010 को चर्चा की गई। टाटा द्वारा दिए गए रेट ज्यादा थे, इसीलिए एच.पी.पी.सी. ने लेलैंड को इस प्रतियोगिता में लाने के लिए ताजा एजेंडा नोट लेने का निर्णय लिया ताकि रेट के बारे में पुनः समझौता किया जा सके। तदनुसार, विभाग ने इन दोनों निर्माताओं से सितंबर 2010 में कुटेशनें ली। इस बार विभाग ने 673 बस चैसीओं की खरीद हेतु नवंबर 2010 में एच.पी.पी.सी. के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन निर्माताओं ने प्रति चैसी ₹ 9.31 लाख (टाटा) के तथा ₹ 9.85 लाख (ले-लैण्ड) के रेट दिए। एच.पी.पी.सी. ने इन निर्माताओं से समझौता कर टाटा से ₹ 9.31 लाख प्रति चैसी तथा ले-लैण्ड से ₹ 9.48 लाख प्रति चैसी की दर से 50:50 के अनुपात में 673 चैसियों की खरीद के लिए नवंबर 2010 में मंजूरी दे दी। विभाग ने दिसंबर 2010 में इन कंपनियों को क्रमशः टाटा की 337 बस चैसियों तथा ले-लैण्ड की 336 बस चैसियों के क्रय आदेश दे दिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मार्च 2011) कि डी.जी.एस.टी. के 2 सितंबर 2010 के पत्र के जवाब में मैसर्ज टाटा ने 3 सितंबर 2010 को अपने रेट ₹ 9.63 लाख से घटाकर ₹ 8.64 लाख कर दिए, जोकि मई 2010 में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (ए.पी.एस.आर.टी.सी.) द्वारा निश्चित किए गए रेट के समान थे परंतु ₹ 8.64 लाख की दर से नए प्राप्त रेट को प्रस्तुत करने की बजाय विभाग ने एच.पी.पी.सी. की 7 सितंबर 2010 को हुई बैठक में नए कोटिड रेट को ही माना और ₹ 9.63 लाख के रेट प्रस्तुत किए जिन्हें बहुत अधिक माना गया और निरस्त कर दिया गया। अन्ततः एच.पी.पी.सी. ने नवंबर 2010 में टाटा के ₹ 9.31 लाख के रेट को मंजूरी दे दी, जोकि 3 सितंबर 2010 को कोट किए गए रेट्स से ₹ 0.67 लाख अधिक थे।

विभाग ने एच.पी.पी.सी. के ध्यान में नई उद्दरित दरों को न लाकर प्रति बस चैसिज ₹ 0.67 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। एच.पी.पी.सी. से तथ्यों के छिपाव के परिणामस्वरूप 337 बसें उच्चतर दरों पर खरीदने पर ₹ 2.26 करोड़¹⁶ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

29 अगस्त 2012 को आयोजित एग्जिट काफ़्रेस के दौरान परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि उस समय के डी.जी.एस.टी. के निर्णयानुसार, टाटा से केवल 241 बसों (673 के विरुद्ध) के प्रापण का प्रस्ताव एच.पी.पी.सी. को प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकृत नहीं किया गया। एच.पी.पी.सी. ने टाटा और लेलैंड दोनों से कोटेशन मांगने का निर्णय लिया। इसमें और समय लगा जिस दौरान टाटा द्वारा प्रस्तावित पहली दरें वापस ले ली गईं तथापि, यह तथ्य, तथ्य ही रहा कि डी.जी.एस.टी. द्वारा नई उद्दरित दरों को रोकने के कारण एच.पी.पी.सी. न्यायसंगत निर्णय लेने में असमर्थ थी और इसी वजह से ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

¹⁶ प्रति बस ₹ 0.67 की दर से 337 बसें = ₹ 225.79 लाख अर्थात् ₹ 2.26 करोड़।

नगर और ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

4.2.7 पेट्रोल पंपों से पट्टा किराए की अवसूली

देय किराए की वसूली में चार संपदा अधिकारियों की विफलता के कारण तीन वर्षों बाद किराए में संशोधन, बाद में प्रस्थापित पेट्रोल पंपों के अतिरिक्त फिलिंग प्वाइंट के लिए किराए के अप्रभारण के कारण हुआ, ₹ 5.25 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) अधिनियम 1977 की धारा 15 (3) के अनुसार, प्राधिकरण नीलामी, आबंटन या अन्य किसी तरह, इससे संबंधित किसी भी भूमि या भवन को, विनियमों में प्रावधान की गई निबंधनों और शर्तों पर बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है।

हुडा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुडा द्वारा नमूना-जांच किए गए चार संपदा कार्यालयों¹⁷ (ई.ओज) के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव, पानीपत और सोनीपत के 11 पेट्रोल पंप स्थलों को पेट्रोल और डीजल प्रत्येक के एक फिलिंग प्वाइंट को मई 1995 और अगस्त 2002 की अवधि के दौरान, ₹ 5000 से ₹ 47,802 प्रतिमाह पर पट्टे पर दिया गया। आबंटन पत्रों में यह प्रावधान था कि यह दरें प्रथम पांच वर्षों के लिए लागू होंगी और प्रत्येक अतिरिक्त पेट्रोल/डीजल के फिलिंग प्वाइंट्स के लिए 12.5 प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर मासिक किराया प्रभारित किया जाएगा। अक्टूबर 1997 में, हुडा ने नीति को संशोधित किया तथा प्रत्येक पेट्रोल पंप का पट्टा किराया प्रत्येक तीन वर्षों बाद 25 प्रतिशत से बढ़ाने का निर्णय लिया।

इन ई.ओज के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल-जून 2012) से प्रकट हुआ कि यद्यपि सर्वेक्षण करने के बाद हुडा ने पहचाना कि इन पेट्रोल पंपों में 130 अतिरिक्त फिलिंग प्वाइंट्स प्रस्थापित किए गए परंतु किसी अवस्था में अतिरिक्त पट्टा किराए के लिए कोई मांग नहीं उठाई गई और पेट्रोल पंपों के सभी आबंटियों से सामान्य किराए के भुगतान की ही मांग उठाई जा रही थी। यहां तक कि, नमूना-जांच किए ई.ओज में पेट्रोल पंपों का पट्टा किराया भी संशोधित नहीं किया गया था, जैसा कि नीति में अपेक्षित था। अतिरिक्त फिलिंग प्वाइंट्स के लिए किराए के अप्रभार के कारण हुडा अतिरिक्त राजस्व से वंचित रहा क्योंकि वसूलनीय राशि बढ़कर ₹ 5.25 करोड़ हो गई जैसा **परिशिष्ट 4.8** में विवरण दिया गया है।

हुडा के द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों से ₹ 1.49 करोड़ के 'किराए की अवसूली' के बारे में मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 4.6.7 में उल्लेख किया गया था। यद्यपि, लोक लेखा समिति को हुडा द्वारा आश्वासन (नवंबर 2007) दिए जाने पर भी बकाया राशि वसूल करने के प्रयास नहीं किए गए थे। इस प्रकार, बकाया राशि को वसूल करने में संपदा अधिकारियों की विफलता ने हुडा को ₹ 5.25 करोड़ की राजस्व राशि से वंचित कर दिया।

¹⁷ (i) संपदा अधिकारी - I, गुड़गांव (ii) संपदा अधिकारी - II, गुड़गांव (iii) संपदा अधिकारी - पानीपत तथा संपदा अधिकारी, सोनीपत।

प्रधान सचिव, नगर तथा ग्राम योजना विभाग ने इसके उत्तर में बताया (नवंबर 2012) कि सभी ई.ओ.ज को मार्च 2013 तक पूरी राशि वसूल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

4.3 निरीक्षण/शासन की विफलता

लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार का दायित्व है जिसके लिए यह, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं मूलभूत संरचनाओं के उन्नयन इत्यादि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कार्य करती है। फिर भी, लेखापरीक्षा ने उदाहरण अवलोकित किए जहां समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक परिसम्पत्तियां बनाने हेतु सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियां, अनिर्णयता, प्रशासनिक निरीक्षण तथा विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही की कमी के कारण, अप्रयुक्त/अवरूद्ध तथा/अथवा निष्फल सिद्ध हुई/अनुत्पादक पड़ी रही। ऐसे कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

शिक्षा विभाग

4.3.1 एजुसैट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठापित टर्मिनलों का अक्रियान्वयन

उत्कर्ष संस्था द्वारा मानीटरिंग के अभाव से एजुसैट कार्यक्रम के अधीन ₹ 90.59 करोड़ व्यय करके प्रतिष्ठापित 56 प्रतिशत टर्मिनल अक्रियाशील रहे। इसके अतिरिक्त, इसरो से उपकरणों की आपूर्ति नहीं हुई, आर.ओ.टीज की मरम्मत के लिए रखी गई निधियों का अवरोधन हुआ और 93 आर.ओ.टीज के पता ठिकाने उपलब्ध नहीं हो पाए।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के सहयोग से मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एम.एच.आर.डी. ने एजुसैट (शिक्षा के लिए एक समर्पित उपग्रह) के माध्यम से सभी स्तरों पर गुणक शिक्षा की विस्तृत पहुंच में सहयोग के लिए उपग्रह संपर्क नेटवर्क को समर्थ बनाने के लिए एक मुख्य परियोजना प्रारंभ की (सितंबर 2004)। प्रत्येक राज्य को एक हब और 10 सैटलाईट इंटरएक्टिव टर्मिनलज (एस.आई.टीज) जैसी मूल सामग्री इसरो द्वारा प्रदान की जानी थी। अतिरिक्त एस.आई.टीज और रिसीव ओनली टर्मिनलज (आर.ओ.टीज) का प्रापण राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। नीति निर्णय लेने और एजुसैट के प्रस्थापन के लिए रूपात्मकता की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों¹⁸ की एक संचालन समिति गठित की (जून 2005) तथा विभिन्न शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिए एजुसैट का प्रयोग करने के उद्देश्य से उत्कर्ष¹⁹ (समिति) के नाम से एक संस्था पंजीकृत करवा ली। एम.एच.आर.डी., राज्य

¹⁸ संचालन समिति के सदस्य: 1. हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव; वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, 2. विकास एवं पंचायते, 3. कृषि, 4. महिला एवं बाल विकास, 5. स्वास्थ्य, 6. समाज कल्याण, 7. शिक्षा, 8. तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, 9. उच्च शिक्षा आयुक्त, 10. इसरो द्वारा नामित, 11. एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित।

¹⁹ उत्कर्ष - हरियाणा में ज्ञान की उन्नति एवं अध्ययन की पुनर-अभिमुखता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

सरकार तथा इसरो के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (अप्रैल 2006) जिसके अनुसार इसरो को सरकारी प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, बहुतकनीकी अभियांत्रिकी और प्रबंधन महाविद्यालयों, शिक्षा और प्रशिक्षण के जिला संस्थानों, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की राज्य कौंसिल, मुख्यालयों इत्यादि में टर्मिनलों को आपूर्ति, प्रतिस्थापन और चालू करना था और तीन वर्षों की वारंटी अवधि अर्थात्, अप्रैल 2009 तक टर्मिनलों का संचालन करना था। हब और सभी रिसेविंग एंड के लिए लोकेशन की पहचान के लिए, प्रतिस्थापक के लिए स्थल तैयार करवाना, सूचियों की सुरक्षित सुपुर्दगी, यंत्रावली सृजित करना तथा उपकरणों को चलाने और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित मानवशक्ति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी।

उत्कर्ष समिति के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2012) से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने इन विभागों द्वारा पहचाने गए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 10,992 टर्मिनलों के प्रतिष्ठापनों के लिए इसरो द्वारा दिए गए प्रोफार्मा इनवायस (बीजकों के विरुद्ध 2005-06 और 2007-08 के बीच ₹ 90.59²⁰ करोड़ (शिक्षा विभाग के तीन निदेशकों द्वारा ₹ 89.97 करोड़ तथा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 0.62 करोड़) का भुगतान किया यद्यपि, 10,818 टर्मिनल राज्य में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में मई 2006 और अक्टूबर 2008 के मध्य प्रतिस्थापित किए गए। शेष 174 टर्मिनलों में से (₹ 0.69 करोड़ मूल्य के) 81 आर.ओ.टीज और ओडियो उपकरण अभी इसरो द्वारा आपूर्ति किए जाने थे क्योंकि समिति ने स्थलों का विनिश्चय नहीं किया था (जून 2012) और (₹ 0.58 करोड़ मूल्य के) 93 आर.ओ.टीज का पता ठिकाना समिति द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रणाली अल्पावधि के लिए कार्यात्मक रही और मार्च 2010 में इसरो द्वारा एजुसैट से इनसैट 4 सी.आर. को ट्रैफिक ट्रांसफर के कारण बंद हो गई। यद्यपि हब पर ट्रैफिक ट्रांसफर की क्रिया पूर्ण हो गई (मई 2010) परंतु रिसेविंग एंडस मार्च 2011 तक कार्यात्मक रही मार्च 2011 के बाद भारी संख्या में टर्मिनल लघु त्रुटियों और लघु मरम्मत की आवश्यकता के कारण कार्यात्मक रहे।

प्रणाली को कार्यात्मक बनाने हेतु समिति ने जनवरी 2011 से एस.आई.टीज तथा आर.ओ.टीज की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए 21 कनिष्ठ अभियंताओं (जे.ई.ज) (प्रत्येक जिले के लिए एक जे. ई.) को नियुक्त किया। इन जे.ई.ज ने दौरा किया और मासिक तकनीकी रिपोर्ट एकत्र की। दिसंबर 2011 की रिपोर्ट ने प्रकट किया कि इन जे.ई.ज ने 10818 टर्मिनलों में से 8077 टर्मिनलों का दौरा किया और पाया कि 5221 (64 प्रतिशत) टर्मिनल त्रुटिपूर्ण यू.पी.एस., खराब बैटरियों, त्रुटिपूर्ण माईनर लिंक उपकरणों इत्यादि के कारण कार्यात्मक नहीं थे। जुलाई 2012 तक, दौरा किए गए 10,282 टर्मिनलों में से 5,779 टर्मिनल (56 प्रतिशत) छोटी मरम्मत और लघु उपकरणों की बदली की आवश्यकता से अकार्यात्मक थे। समिति इन उपकरणों के कार्यचालन को इतनी लंबी अवधि के लिए अर्थात् मई 2010 में अन्य सेटलाइट को ट्रैफिक ट्रांसफर से मानीटर करने में विफल रही और सिस्टम को कार्यात्मक बनाने के लिए अनुकूल उपाय नहीं किए गए इस तथ्य के बावजूद कि टर्मिनलों को छोटी सी मरम्मत उपकरण इत्यादि की आवश्यकता थी जिसके लिए तकनीक अपेक्षाकृत साधारण थी तथा सीधे घर तक (डी.टी.एच.) प्रचालकों की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में

²⁰ निदेशक, उच्चतर शिक्षा (अक्टूबर 2005): ₹ 6.28 करोड़; निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (मार्च 2006 से अप्रैल 2007): ₹ 44 करोड़; निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (अप्रैल 2006 से नवंबर 2007): ₹ 39.69 करोड़ तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा: ₹ 0.62 करोड़।

उपलब्ध थी। इसने न केवल छात्रों को कार्यक्रम के अभीष्ट लाभों से वंचित रखा बल्कि इससे ₹ 47.01 करोड़ का निवेश भी अप्रयुक्त पड़ा रहा जैसा कि तालिका-3 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3 जुलाई 2012 को अकार्यात्मक रहे टर्मिनलों का विवरण

उपकरण	प्रतिस्थापित टर्मिनल	दिसंबर 2011 में समिति द्वारा किए गए टर्मिनल	दिसंबर 2011 में अकार्यात्मक पाए गए	जुलाई 2012 में समिति द्वारा किए गए टर्मिनल	जुलाई 2012 में अकार्यात्मक पाए गए	अप्रयुक्त पड़े निवेश (₹ करोड़ में)
एस.आइ.टीज	512	373	328 (88 प्रतिशत)	430	341 (79 प्रतिशत)	10.71
आर.ओ.टीज	10,306	7,704	4,893 (63 प्रतिशत)	9,852	5,438 (55 प्रतिशत)	36.30
कुल	10,818	8,077	5,221 (65 प्रतिशत)	10,282	5,779 (56 प्रतिशत)	47.01

(स्रोत: समिति द्वारा आपूर्ति सूचना से संगृहीत)

पांच जिलों²¹ में 34 विद्यालयों में, समिति के जे.ई.जे. के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा टर्मिनलों के किए गए भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि ये टर्मिनल छोटी मरम्मत, बैट्रीज/लिंक उपकरण की निष्क्रियता, विद्युत आपूर्ति की बाधा इत्यादि के कारण अकार्यात्मक थे और तालिका 4 में सूचीकृत छः विद्यालयों में टर्मिनलों की स्थिति तकनीकी रिपोर्ट में दी स्थिति से भिन्न थी।

तालिका-4 विद्यालयों के विवरण जहां भौतिक सत्यापन के दौरान टर्मिनल अकार्यात्मक पाए गए

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार स्थिति	भौतिक सत्यापन पर पाई गई वास्तविक स्थिति
1.	राजकीय प्राइमरी स्कूल (जी.पी.एस.) मीठापुर	अंबाला	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	पिछले तीन माह से अकार्यात्मक है क्योंकि उपकरणों की चोरी हो गई थी तथा तीन माह पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुस्तफाबाद	यमुनानगर	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले चार माह से अकार्यात्मक है।
3.	जी.पी.एस. थाना छप्पड़	यमुनानगर	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले एक वर्ष से अकार्यात्मक है।
4.	जी.पी.एस. गधौला	यमुनानगर	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले दो महीनों से अकार्यात्मक है।
5.	जी.पी.एस. जीटी पुर	जींद	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले आठ महीनों से अकार्यात्मक है।
6.	जी.पी.एस. करखना	जींद	आई.डी. नं. 6332 के साथ एकल साईट तथा कार्यात्मक अवस्था में है।	दो साईट स्थापित की गई थी तथा दोनों ही एक वर्ष से अकार्यात्मक थी।

(स्रोत - भौतिक सत्यापन के दौरान संगृहीत सूचना)

दो स्थल जो मासिक तकनीकी रिपोर्ट में सही और कार्यात्मक दर्शाए गए थे परंतु भौतिक सत्यापन के दौरान अकार्यात्मक पाए गए नीचे तस्वीरों में भी चित्रित किए गए हैं:

²¹ अंबाला, जींद, पंचकूला, सिरसा तथा यमुना नगर।



सरकारी पब्लिक स्कूल, मीठापुर (अंबाला) में यू.पी.एस. और बैटरी चोरी हो जाने के कारण अकार्यात्मक आर.ओ.टी. की तस्वीर (26 अगस्त 2012) परंतु तकनीकी रिपोर्ट में कार्यात्मक दर्शाए गए।

सरकारी मॉडल स्कूल थाना छप्पर (यमुनानगर) में अकार्यात्मक आर.ओ.टी. की तस्वीर जे.ई. और मुख्य अध्यापक भी चित्रित हैं (27 अगस्त 2012) परंतु तकनीकी रिपोर्ट में कार्यात्मक दर्शाए गए।

आर.ओ.टीज के अनुरक्षण के लिए, समिति ने राज्य के सभी विद्यालयों को 2007-08 और 2008-09 वर्ष के दौरान एकमुश्त ₹ 0.70 करोड़ (₹ 700 प्रति स्कूल) का भुगतान कर दिया था। इसमें से ₹ 0.61 करोड़ विद्यालयों के पास अप्रयुक्त पड़े थे।

मामले पर, 9 नवंबर 2012 को आयोजित एगिजट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार माध्यमिक शिक्षा के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी जहां विभाग ने चूकों को स्वीकार किया था तथा बताया कि जे.ईज के निष्पादन को मानीटर तथा कल-पुर्जों के प्रापण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, विभाग पूरे नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए एक निजी एजेन्सी को किराए पर लेने की योजना बना रहा है।

इस प्रकार, समिति नेटवर्क की समस्याओं से निपटने में विफल रही क्योंकि जनवरी 2011 में जो कि टर्मिनलों के प्रतिष्ठापन के तीन वर्ष बाद है, 10818 टर्मिनलों के भारी नेटवर्क के लिए केवल 21 जेई नियुक्त किए गए थे और 16000 बैटरियों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 4000 बैटरियां खरीदी गई थी। समिति के द्वारा मानीटरिंग के अभाव के कारण सभी स्तरों पर गुणक शिक्षा की व्यापक पहुंच प्रदान करने के कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि अभी भी 56 प्रतिशत टर्मिनल कार्यात्मक नहीं थे (नवंबर 2012)। इसके परिणामस्वरूप समिति के द्वारा स्थलों की पहचान न कर पाने के फलस्वरूप इसरो से ₹ 0.69 करोड़ के उपकरणों की प्राप्ति नहीं हो सकी, ₹ 0.61 करोड़ की राशि तक की स्कूलों द्वारा निधियों का प्रयोग नहीं हुआ तथा 93 आर.ओ.टी. (₹ 0.58 करोड़ मूल्य के) के पता ठिकाने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

4.3.2 सरकारी खाते में राशियां जमा न कराने से ब्याज की हानि

निधियों को सरकारी खाते में स्थानांतरित न करने के कारण सरकार को ₹ 1.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को बैंक में ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखने के कारण ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

यमुना नदी, दिल्ली और हरियाणा के कुछ भागों का पानी का मुख्य स्रोत है। नदी में प्रदूषण भार कम करने के लिए, एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम यमुना एक्शन प्लान (वाई.ए.पी.) फेस 11, दिसंबर 2004 में शुरू किया गया। स्कीम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 85:15 के अनुपात में लागत को वहन करने के आधार पर लागू की गई। भारत सरकार (जी.ओ.आई.), आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति ने नवंबर 1998 में की गई अपनी मीटिंग में कार्य के निष्पादन में देरी से बचने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे निधियां जारी करने का निर्णय लिया। जी.ओ.आई. के आदेश को लागू करने के लिए वाई.ए.पी. पर स्टीयरिंग कमेटी ने आगे निर्णय लिया (दिसंबर 1999) कि वर्ष 2000-01 से राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) द्वारा नोडल एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी। निधियों को जारी करते समय, एन.आर.सी.डी. ने आगे निर्देश दिया कि परियोजना के लिए जारी निधियां एक अलग ब्याज अर्जित बैंक खाते के द्वारा परिचालित होनी चाहिए तथा अर्जित किया गया ब्याज परियोजना को जमा होना चाहिए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों में अभिव्यक्त होने चाहिए। आगे यह प्रावधान किया गया कि ब्याज को इस परियोजना के लिए बाद में जारी धन राशियों में समायोजित किया जाएगा।

जी.ओ.आई. के निर्देशों की अनुपालना में, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने मुख्य अभियंता (ई.आई.सी.) जन-स्वास्थ्य इंजिनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) हरियाणा के नाम से व्यक्तिगत लेजर खाता (पी.एल.ए.) खोलने की अनुमति दी। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया (जून 2001) कि जी.ओ.आई. से प्राप्त निधियां एक बैंक खाते में रखी जाएंगी तथा विभागाध्यक्ष राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में राशि जमा करने के लिए चैक जारी करेगा। इसके बाद, वित्त विभाग कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित डिवीजनों को निधियां जारी करने के लिए साख पत्र (एल.ओ.सी.) जारी करेगा। ई.आई.सी. पी.एच.ई.डी. ने जून 2001 में हरियाणा राज्य सहकारी बैंक (एच.ए.आर.सी.ओ.), सैक्टर-17, चण्डीगढ़ में बैंक बचत खाता (ब्याज अर्जित खाता) खोला जो बाद में जुलाई 2004 में चालू खाते (ब्याज उपाजित न करने वाला खाता) में परिवर्तित किया गया।

मुख्य अभियंता, पी.एच.ई.डी. के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2011) में पाया गया कि 2005-06 से 2011-12 की समयावधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 58.83 करोड़ का व्यय किया गया। इस समयावधि के दौरान जी.ओ.आई. से ₹ 52.90 करोड़ की निधियां प्राप्त हुईं। ₹ 58.83 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 50 करोड़ (भारत सरकार की ओर से 85 प्रतिशत हिस्सा) सरकारी खाते में जमा कराए जाने थे। तथापि, विभाग द्वारा राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में ₹ 46.29 करोड़ जमा कराए यद्यपि, हरको बैंक खाते में पर्याप्त निधियां थी, जिसके कारण

₹ 3.71 करोड़ कम जमा कराए गए (सितंबर 2011)। मार्च 2006 तथा नवंबर 2011 के दौरान सरकारी खातों में कम जमा राशि ₹ 0.38 करोड़ तथा ₹ 6.06 करोड़ के मध्य श्रृंखलित थी।

यदि विभाग द्वारा सरकारी खाते में देय तिथियों पर राशि जमा कराई गई होती तो, इससे ₹ 1.30 करोड़ की ब्याज की हानि से बचा जा सकता था (सात प्रतिशत की दर से परिकलित अर्थात् न्यूनतम कोषालय बिल दर पर, परिशिष्ट 4.9) जिससे अन्यथा सरकार द्वारा उठाए गए ऋणों का भुगतान किया जा सकता था। इस प्रकार, निधियों को सरकारी खाते के बाहर बैंक में रखने के स्थान पर सरकारी खाते में जमा न कराने के कारण विभाग को ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जी.ओ.आई. के निर्देशानुसार, जी.ओ.आई. से प्राप्त निधियों को ब्याज वाले बैंक खाते में रखा जाना था। यह देखा गया कि जनवरी 2005 से जनवरी 2012 की समयावधि के दौरान निधियों को चालू खाते (ब्याज न देने वाले खाते) में रखा गया। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इस पर इंगित किए जाने (नवंबर 2011) पर विभाग ने फरवरी 2012 में बचत (ब्याज वाले) बैंक खाता खोला। निधियों को चालू खाते में रखने के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

इस बारे में इंगित किए जाने पर (मार्च 2012), मुख्य सचिव, पी.एच.ई.डी. ने कहा (अगस्त 2012) कि सेन्टेज प्रभारों को छोड़कर निवल राशि की सीमा तक एल.ओ.सी. डिवीजनों को जारी की गई, इसलिए, बैंक खाते से आहरण के बाद उस सीमा तक राशियों को सरकारी खाते में जमा करा दिया और यह कि ₹ 4.71 करोड़ की शेष राशि को कोषालय में जमा करा दिया (दिसंबर 2011) गया था। इस प्रकार, उत्तर स्वयं यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा (85 प्रतिशत अर्थात् केंद्रीय हिस्सा) व्यय के संबंध में कोषालय में राशि को जमा कराने के लिए पहले सावधानी से कार्य नहीं किया जिसके कारण सरकार को ब्याज की हानि हुई। निधियों को चालू खाते में रखने के संबंध में, यह कहा गया कि निधियों को हरको, चंडीगढ़ के बचत बैंक खाते में रखा गया जिसे चालू खाते में परिवर्तित किया गया क्योंकि बैंक ने जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान की गई निधि के लिए बचत खाते को जारी रखने से मना कर दिया था तथा एन.आर.सी.डी. को स्थिति बारे सूचित किया गया था जिन्होंने निधियों को चालू खाते में रखने बारे कभी आपत्ति नहीं की। 22 अगस्त 2012 को मुख्य सचिव के साथ हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में भी मामले पर विचार-विमर्श किया गया। जहां ई.आई.सी. ने अपना उत्तर दोहराया, परंतु बैंक द्वारा बचत खाता खोलने को मना करने के समर्थन में दस्तावेज नहीं दिखाए गए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार (जुलाई 2004), बचत बैंक खाता खोलने का प्रतिबंध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों पर लागू नहीं होता है। अतः बैंक खाते से सरकारी खाते में निधियों को न जमा कराने के कारण, सरकार को ₹ 1.30 करोड़ की ब्याज की हानि उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त, निधियों को ब्याज न देने वाले खाते में रखने के परिणामस्वरूप भी ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

4.3.3 बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण पर निष्फल व्यय

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या-1, कैथल द्वारा अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए बिना उचित प्रबंध किए, पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका तथा पंप हाउस के निर्माण पर किया गया ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई (दिसंबर 1993) सीवरेज, सीवेज एवं

उपचार पर नियमावली के अनुच्छेद 1.3 में प्रावधान है कि व्यर्थ जल संग्रहण, उपचार एवं निपटान प्रणालियां डिजाइन करते समय योजना सामान्यतः अन्तिम निपटान बिंदु (अंतिम छोर) से पीछे की ओर जाते हुए, टोपोग्राफी एवं उपलब्ध हाइड्रोलिक शीर्षों, यदि अनिवार्य हो तो पम्पिंग द्वारा आपूरित, के अनुकूल एकीकृत एवं अभीष्ट डिजाइन आरंभ किया जाना चाहिए।

कैथल जिले में पुण्डरी कस्बे की सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिए, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), हरियाणा सरकार द्वारा पुण्डरी कस्बे में ₹ दो करोड़ की एक स्कीम 'बाढ़ जल अपवाहिका प्रदान करना' को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई (सितम्बर 2005)। " पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण तथा निस्तारण कार्य" के अनुमान प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.), पी.एच.ई.डी. द्वारा आंशिक रूप से हबरी अपवाहिका में तथा आंशिक रूप से जथेरी अपवाहिका में बाढ़ जल के निस्तारण हेतु प्रदान करने के लिए अनुमोदित किए गए (मार्च 2007)। मण्डी क्षेत्र, पाई सड़क तथा पुण्डरी कस्बे का बाढ़ जल, पम्पिंग स्टेशन द्वारा पाई सड़क के साथ कच्चा मलजल कैरियर में पाई के साथ-साथ निस्तारण किया जाना था, जो कि अंत में, जथेरी अपवाहिका में गिरता है।

सितंबर 2005 तथा नवंबर 2008 के दौरान कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), पी.एच.ई.डी.-1 कैथल द्वारा निर्माण कार्य के लिए चार हिस्सों में निविदाएं आमंत्रित की गईं और अपवाहिकाओं के निर्माण कार्य को दो से छः मास तक पूर्ण करने के लिए चार एजेन्सियों को आबटित किया गया। सभी कार्य ₹ 1.55 करोड़ की लागत से फरवरी 2009 के दौरान पूर्ण हो गए।

ई.ई., पी.एच.ई.डी.-1 कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2012) ने प्रकट किया कि कच्चा मलजल कैरियर, जिसमें से पम्पिंग स्टेशन के द्वारा बाढ़ जल का निस्तारण किया जा रहा था, न केवल जथेरी गांव के विशेषतः संबंधित नजदीकी आवासियों के लिए परेशानी का कारण था (जैसा कि 10 अप्रैल 2012 को लिए गए फोटो में दिखाई दे रहा है) अपितु यह मच्छर प्रजनन केंद्र में विकसित हो गया था।



कच्ची अपवाहिका में छोड़ा गया अपशिष्ट जल, पुण्डरी के खुले क्षेत्र में बहता हुआ (10 अप्रैल 2012)

अपशिष्ट जल ऊपर से बह रहा था तथा लगातार फसलों को नष्ट करता हुआ नजदीक के कृषि क्षेत्रों में घुसा जा रहा था। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि यह निर्धारित करने हेतु क्षेत्र का उचित सर्वे नहीं किया गया था कि क्या कच्चा मलजल कैरियर जथैरी अपवाहिका में गिरने से पहले अपशिष्ट जल के प्रवाह को बनाए रखने के योग्य था। जो कि स्कीम को सफल तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक थी और इसके अनुवर्ती 2.05 करोड़ के निस्तारण कार्यों से जथैरी अपवाहिका तक बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण के लिए एक अन्य लागत अनुमान जनवरी 2011 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित करवाया गया। कार्य चार मास की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेंसी को आबंटित किया गया (मई 2011)। परंतु एजेंसी कार्य आरंभ नहीं कर सकी क्योंकि अपशिष्ट जल कस्बे की विभिन्न जगहों पर कीचड़/दलदल पैदा करता हुआ बह रहा था। अधीक्षक अभियंता, पी.एच.ई. मंडल, कैथल ने ई.आई.सी., पी.एच.ई.डी. को स्कीम को रद्द करने का सुझाव दिया (मार्च 2012) क्योंकि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं था और कहा कि स्थल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। आगे, मामले में कोई विकास नहीं हुए (दिसंबर 2012)। मलजल और बाढ़ जल खुले में लगातार बह रहा था जिससे वहां मच्छर प्रजनन केंद्र बना रहा तथा यह नजदीकी आवासियों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा था।

ई.ई., पी.एच.ई.डी.-1 कैथल ने सूचित किया (अप्रैल 2012) कि व्यय फलदायी होता यदि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आर.सी.सी.) बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण के बाद, निस्तारण को मुख्य जथैरी अपवाहिका से उचित तरीके से जोड़ा गया होता।

लेखापरीक्षा में इस पर इंगित करने पर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार पी.एच.ई.डी. ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि फरवरी 2009 में अन्तिम रूप से दिए गए मूल अनुमान में पक्का मलजल अपवाहिका के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं था तथा कार्य को अनुमान में प्रावधान के अनुसार किया गया तथा पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल के निस्तारण में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि के द्वारा आर.सी.सी. बाढ़ अपवाहिका के निर्माण हेतु प्रावधान कर, बनाया गया दूसरा अनुमान वापस ले लिया गया था क्योंकि स्थल स्थितियों के अनुसार यह संभव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बाढ़ जल का निस्तारण खुले में था जिससे आवासियों को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यह, यह दर्शाता है कि बिना उचित योजना तथा जल के अंतिम निस्तारण हेतु सर्वे किए बिना तथा उस क्षेत्र के सर्वे को पूरा किए बिना यह निर्धारित करना कि जथैरी अपवाहिका में गिरने से पूर्व क्या यह कच्चा मलजल कैरियर अपशिष्ट जल के प्रवाह को बनाए रखने के योग्य था, स्कीम लागू की गई। मामले पर पुनः 22 अगस्त 2012 को हुए एग्जिट सम्मेलन में चर्चा की गई जहां प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि (पक्का मलजल कैरियर के) शेष कार्यों को शीघ्रतम पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

इस प्रकार, उचित योजना तथा अपशिष्ट जल के अंतिम निस्तारण हेतु सर्वे के बिना स्कीम के लागू करने के परिणामस्वरूप अपवाहिकाओं के निर्माण पर तथा पम्पिंग मशीनरी को लगाने पर किया गया 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

4.3.4 अंबाला शहर की सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग- I के साथ ट्रंक सीवर डालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना, अंबाला शहर में सीवरेज स्कीम पर कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

जी.ओ.आई., शहरी विकास मंत्रालय के सीवरेज एवं सीवेज उपचार की नियम-पुस्तिका के अनुच्छेद 1.9.4.3 (जी.) (एक्स.) के अनुसार परियोजना पर व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के दौरान सड़कों के आर-पार अथवा सड़कों पर निर्माण के लिए अनुमति के साथ परियोजना को लागू करने के लिए वैधानिक एवं प्रशासकीय अनुमोदनों की रूपरेखा बनाना आवश्यक है। आगे हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 15.2.1 प्रावधान करता है कि कोई कार्य तब तक आरम्भ नहीं करना चाहिए जब तक कि आवश्यक अनुमतियाँ जैसे कि पेड़ों का काटना, पर्यावरण अनुमति, रेलवे लाईन को पार करना, रास्ते अथवा सड़क को पार करने के अधिकार का प्रयोग करना इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं की जातीं।

अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 तथा 31 के अन्तर्गत आने वाली नई अनुमोदित कालोनियों को सीवरेज सुविधाएँ²² प्रदान करने के लिए, राज्य स्वच्छता बोर्ड ने ₹ 14.96 करोड़ के अनुमान अनुमोदित किए (नवंबर 2007)। यह क्षेत्र पूर्व में अंबाला चण्डीगढ़ रेलवे लाईन के तथा पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 (एन.एच.- I) के बीच में पड़ता था। ट्रंक सीवर रास्ते के दायीं ओर (आर.ओ.डब्ल्यू.) के कच्चे भाग में तथा मुख्य पम्पिंग स्टेशन में एन.एच.- I के साथ प्रस्तावित किया गया तथा सीवरेज उपचार प्लांट (एस.टी.पी.) भी एन.एच.- I के साथ प्रस्तावित किया गया। एस.टी.पी. की स्थापना हेतु ₹ 69.04 लाख में भूमि अधिग्रहित की गई (दिसंबर 2008)। ई.ई., पी.एच.ई. डिवीजन, अंबाला कैंट द्वारा “विभिन्न मापों के मुख्य सीवर को प्रदान करना तथा बिछाना” कार्यों के लिए (दिसम्बर 2007 तथा जून 2009 के मध्य) निविदाएँ आमंत्रित की गई तथा जनवरी 2008 तथा अगस्त 2009 के मध्य 12 से 18 मास की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 8.82 करोड़ की राशि के कार्य चार एजेंसियों²³ को आवंटित किए गए। एजेंसियों ने मार्च 2011 तक ₹ 5.21 करोड़ की कीमत के कार्य पूर्ण किए। इसी प्रकार, “एस.टी.पी. का निर्माण” कार्य नौ मास की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 2.91 करोड़ की राशि पर एक एजेंसी को दिए गए (अगस्त 2009)। एजेंसी ने कार्य पूर्ण किया तथा एंजेसी को ₹ 2.30 करोड़ का भुगतान मार्च 2011 तक किया गया। जनवरी 2012 तक भूमि की लागत सहित ₹ 9.42 करोड़²⁴ का कुल व्यय कार्य पर किया गया। ट्रंक सीवर लाईन पर कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया तथा एस.टी.पी. अकार्यान्वित पड़ी रही।

²² अवरोधक, विपथन तथा आंतरिक सीवर का बिछाना, टैंक एकत्रित करना, मुख्य मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशनों, मुख्य पम्पिंग स्टेशनों मलजल कैरियर तथा सीवरेज उपचार प्लांट को ऊपर उठाना।

²³ एंजेसी का नाम/कारार राशि (भुगतान की गई राशि): (i) श्री अनिल देसवाल: ₹ 2.62 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 0.14 करोड़); (ii) मैसर्स एम.आर. कंसट्रक्शन कं.: ₹ 1.26 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 0.90 करोड़); (iii) श्री श्याम कुमार: ₹ 1.36 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 0.96 करोड़) तथा (iv) श्री रोहताश कुमार: ₹ 3.58 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 3.21 करोड़)।

²⁴ भूमि अधिग्रहण: ₹ 0.69 करोड़; एंजेसी को भुगतान ₹ 5.21 करोड़; एस.टी.पी. के लिए भुगतान ₹ 2.30 करोड़, स्टोर सामग्री की कीमत ₹ 0.98 करोड़ तथा छोटे-छोटे कार्यों के विरुद्ध भुगतान ₹ 0.24 करोड़।

यह देखा गया कि ई.ई. द्वारा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से 4.6 कि.मी. लंबाई में एन.एच.-I के आर.ओ.डब्ल्यू. में सीवर लाईन बिछाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी (सितम्बर 2008)। एन.एच.ए.आई. ने एन.एच.-I के साथ सीवर लाईन बिछाने के लिए अनुमति नहीं दी (फरवरी 2009) क्योंकि उपलब्ध भूमि सिक्स लेनिंग के लए आवश्यक थी। एन.एच.ए.आई. ने आगे स्पष्ट किया (नवम्बर 2009) कि 4.6 कि.मी. की पहुंच में सर्विस सड़क बाहर और अंदर, ट्रक एवं बस ले-बाई²⁵ तथा फलाईओवर का निर्माण किया जाना था, विभाग को आर.ओ.डब्ल्यू./एन.एच.ए.आई. भूमि के अन्दर प्रवेश किए बिना सीवर लाईन को बिछाने के लिए वैकल्पिक स्थान ढूँढना चाहिए। तथापि, विभाग ने एन.एच.ए.आई. को सीवर लाईन बिछाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए पुनः अनुरोध किया (दिसंबर 2009) परन्तु उन्होंने अन्ततः सूचित किया कि उनके द्वारा, एन.एच.-I के साथ सीवरेज लाईन बिछाने की अनुमति न देने का निर्णय लिया गया था (नवम्बर 2011)।

लेखापरीक्षा के दौरान (फरवरी 2011 तथा फरवरी 2012) यह देखा गया कि सीवर लाईन बिछाने का कार्य जनवरी 2008 में, यहां तक कि एन.एच.ए.आई. से एन.एच.-I के आर.ओ.डब्ल्यू. में ट्रंक सीवर डालने की अनुमति (सितंबर 2008) प्राप्त करने से पूर्व ही शुरू कर दिया गया। एन.एच.ए.आई. द्वारा एन.एच.-I के आर.ओ.डब्ल्यू. में ट्रंक सीवर डालने की अनुमति न दिए जाने (फरवरी 2009) पर भी एस.टी.पी. का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया (अगस्त 2009)। इस प्रकार दोनों कार्य एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त किए बगैर आरंभ किए गए थे जबकि पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुसार यह पूर्वपेक्षा थी जिसमें प्रावधान है कि कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक अनुमतियां, जैसे कि पेड़ों का काटना, पर्यावरण क्लियरेंस, रेलवे लाईन को क्रास करना, रास्तेया सड़क क्रास करना, के अधिकार का प्रयोग करना इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं की जाती हैं। इस प्रकार, पी.डब्ल्यू. कोड में कार्य आरंभ करने के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण, योजना पर खर्च किया गया ₹ 9.42 करोड़ का व्यय निष्फल रहा (अप्रैल 2012)।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (जून 2012), हरियाणा सरकार, पी.एच.ई. विभाग के प्रधान सचिव ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि अन्तवर्ती पम्पिंग केंद्र (आई.पी.एस.) को चालू कर डाले गए सीवरों को क्रियाशील कर लिया गया है एवं सीवरेज को एन.एच.-I के साथ पहले से ही बह रहे कच्चे नाले के माध्यम से बहा जा रहा था जहां से इसे योजना के अधीन निर्मित 3 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. तक उन्नयित किया जा रहा था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आई.पी.एस. से एस.टी.पी. तक ट्रंक सीवेज को डालने का काम



²⁵ यात्रियों इत्यादि को चढ़ने के लिए सड़क पर बसों को अस्थायी रूकने के लिए बस ले-बाई एक विपथन है।

एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त होने के तुरंत बाद आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए मामला अंतिम चरण में था। मामले पर 22 अगस्त 2012 को आयोजित एग्जिट काफ़ेंस में भी विचार-विमर्श किया गया था, जहां हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने फिर से सूचित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर सीवर डालने का मामला, एन.एच.ए.आई. के साथ अंतिम चरण में था एवं अनुमति की प्राप्ति के तुरंत बाद स्कीम को क्रियाशील कर दिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ट्रंक सीवर लाईन जिसे सीवेज को एस.टी.पी. तक ले जाना था, अभी तक नहीं डाली गई थी एवं अनुपचारित सीवेज को अंबाला नाले में बहाया जा रहा था जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एवं एस.टी.पी. अक्रियाशील रही। क्योंकि अनुपचारित सीवेज जल में जैविक/गैर-जैविक एवं अन्य विषैले द्रव्य अंतर्विष्ट होते हैं जो कि सामान्य मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सीवेज जल का अंबाला नाले में निष्कासन उचित नहीं था। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

4.3.5 अपूर्ण भवन पर निष्फल व्यय

अनुमानों को सही न बनाने से तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य की व्याप्ति का आकलन करने के लिए स्थल निरीक्षण न करके भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि जिला सैनिक विश्राम गृह यमुनानगर का भवन अधूरा रह गया।

हरियाणा लोक निर्माण कार्य विभाग संहिता के पैरा 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी भी प्रोजेक्ट का अनुमान बनाते समय भूमि की उपलब्धता सहित क्षेत्र की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुमान वांछित उद्देश्य के लिए लागत प्रभावी होना चाहिए तथा जितना संभव हो सके यथार्थ होना चाहिए। अनुमान में स्थल के दौरे के समय आकलन की गई भूमि की परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए।

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने नवंबर 2005 में यमुनानगर में जिला सैनिक विश्राम गृह एवं जिला सैनिक बोर्ड के कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए ₹ 62.36 लाख की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। गोविंदपुरा की ग्राम पंचायत ने अप्रैल 2003 में इस भवन के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई थी। यह भूमि गांववासियों द्वारा व्यर्थ पानी के निपटान के लिए प्रयोग में लाई जा रही थी और व्यावहारिक रूप से यह एक भूमि के टुकड़े की बजाय, एक तालाब रूप में था जिसे निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व भरा जाना जरूरी था। ग्राम पंचायत ने आगे यह शर्त भी रखी थी कि एक सीवेज स्कीम के द्वारा बेकार जल के निपटान हेतु यथोचित व्यवस्था की जाये।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) जगाधरी प्रोविंसियल मंडल, यमुनानगर ने जिला सैनिक बोर्ड के लिए भवन निर्माण के कार्य को, जनवरी 2007 में बिना भूमि की उपयुक्तता का निर्धारण किए, ₹ 60.76 लाख की अनुमानित लागत पर छः माह की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेसी²⁶ को आबंटित कर दिया। एजेसी ने ₹ 74.38 लाख (जिनका भुगतान जनवरी 2009 में किया गया था)

²⁶ मैसर्स अनिल मेहता, सरकारी ठेकेदार।

के निर्माण कार्य को करने के पश्चात्, ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर जनवरी 2009 में, कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। नवंबर 2011 तक इस निर्माण कार्य पर ₹ 88.89 लाख का व्यय हो चुका था।

क्योंकि भवन का स्थल एक तालाब में था और उसके लिए बहुत अधिक भराव की आवश्यकता थी, ई.ई. ने फरवरी 2009 में इंजिनियर-इन-चीफ (ई.आई.सी.), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को ₹ 117.36 लाख का एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने नवंबर 2009 में इस राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी। सैनिक बोर्ड ने जनवरी 2010 एवं फरवरी 2011 के दौरान ₹ 55 लाख²⁷ की शेष निधियां डिविजन के पास जमा करा दी। परंतु आगे कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि एजेंसी पुरानी दर पर ही इस शेष कार्य को करने को तैयार नहीं थी। इसी बीच, विभाग ने अप्रैल 2011 में ₹ 2.21 करोड़ का एक अन्य संशोधित अनुमान राज्य सैनिक बोर्ड को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया क्योंकि मिट्टी से भराव के अतिरिक्त प्रावधान के कारण, कार्य का दायरा बढ़ गया था और सामान्य नींव की बजाय अब भराव के रूप में अतिरिक्त नींव कार्य किया जाना था। प्रशासनिक मंजूरी का मामला वित्त विभाग के पास लंबित था और (जैसा कि नीचे दिए गए फोटो में दर्शाया गया है) दिसंबर 2012 तक निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा हुआ पड़ा था।



ई.ई. जगाधरी प्रोविंसियल मंडल, यमुनानगर के रिकार्ड की फरवरी 2010 में की गई संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.ई. ने स्थल का निरीक्षण किए बिना तथा स्थल की परिस्थितियों का आकलन किए बिना (जो कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 10.1.3 के अनुसार एक पूर्व आवश्यकता थी) रफ लागत अनुमान तैयार किए थे। मुख्य सचिव ने नवंबर 2005 में ई.ई. द्वारा तैयार किए गए इन्हीं रफ लागत अनुमान पर ही प्रथम प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह भी कि भवन का निर्माण कार्य, स्थल की परिस्थितियों के अनुरूप निर्माण कार्य के दायरे का बिना निर्धारण किए, आरंभ कर दिया गया। निर्माण कार्य के पूर्ण विस्तार का आकलन नवंबर 2009 में अनुमानों को संशोधित करते समय भी नहीं किया गया और अनुमान ₹ 2.21 करोड़ के लिए अप्रैल 2011 में पुनः संशोधित करने पड़े थे। आगे गोविंदपुरा गांव में सीवर लाईन डालने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था (अक्तूबर 2012)।

²⁷

जनवरी 2010: ₹ 25 लाख; अगस्त 2010: ₹ 10 लाख; जनवरी 2011: ₹ 10 लाख तथा फरवरी: ₹ 10 लाख।

इस बारे में इंगित किए जाने पर ई.ई. ने नवंबर 2010 तथा जनवरी 2012 में सूचित किया कि कार्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि भवन का स्थल एक सीवरेज वाले तालाब में था जिसके लिए अत्यधिक भराव आवश्यक था, सीवरेज की सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के कारण गांव वाले विरोध कर रहे थे तथा विभाग द्वारा शेष धनराशि जमा नहीं कराई गई थी। इस विषय पर नवंबर 2012 में हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव से भी चर्चा की गई जहां पर विभाग ने सूचित किया कि आरंभ में इस पूर्वानुमान पर कि भवन निर्माण के लिए भूमि का सूखा टुकड़ा उपलब्ध कराया जायेगा, ₹ 62.36 लाख का अनुमान क्लाइंट विभाग को भेजा गया था परंतु जो स्थल उपलब्ध कराया गया वह एक सीवरेज वाला तालाब था जिसके लिए अत्यधिक भराव आवश्यक था, जिस वजह से अनुमान को संशोधित करना पड़ा तथा पुनः संशोधित करना पड़ा और निर्माण कार्य, विभाग द्वारा शेष धनराशि जमा न कराए जाने के कारण रूक गया।

विभाग का यह तर्क सही नहीं था क्योंकि रफ लागत अनुमान लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य के विस्तार का आकलन करने के लिए स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात्, उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया था। आगे, विभाग को गांव के विरोध से बचने के लिए, निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व गांव के बेकार जल के निपटान के मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क साधना चाहिए था। विभाग की यह धारणा कि क्लाइंट विभाग द्वारा धनराशि जमा नहीं कराई गई थी, भी ठीक नहीं लगती क्योंकि उन्होंने ₹ 117.36 लाख की पूरी धनराशि कुछ चरणों में जमा करा दी थी परंतु ठेकेदार के पुरानी दरों पर ही निर्माण कार्य करने से मना कर देने के कारण विभाग निर्माण कार्य पुनः आरंभ नहीं कर सका। इस प्रकार, स्थल की परिस्थितियों के आकलन हेतु स्थल का निरीक्षण न कर रफ लागत अनुमान तैयार करने के साथ ही गांव के बेकार जल के निदान हेतु यथोचित प्राधिकारियों से मामला न उठाए जाने के कारण भवन के निर्माण कार्य में बाधा आई जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक अधूरे छोड़े गए भवन पर ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ इसके अतिरिक्त इसके वाछितों को आशानुरूप लाभ से वंचित रहना पड़ा।

परिवहन विभाग

4.3.6 बसों के अपेक्षानुरूप उपयोग के लिए चालकों तथा परिचालकों की कमी के कारण हानि

बसों को चलाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था किए बिना बसें खरीद करने से उनका कम उपयोग हुआ, इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने व्यवस्थित एवं अधिक कार्यकुशल शहरी बस सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन (जे.एन.नुरम) के अधीन बसों की खरीद के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया (जनवरी 2009)। तदनुसार, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद शहर में शहरी परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 288 बसों की जरूरत के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भार सरकार को

फरवरी 2009 में प्रस्तुत की। भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत फरवरी 2009 में 150 बसों की खरीद हेतु लागत में से अपने हिस्से ₹ 27.30 करोड़ की संस्वीकृति दे दी। राज्य सरकार को लागत का शेष 50 प्रतिशत स्वयं वहन करना था। परिवहन विभाग ने 150 (45 ए.सी. बसों तथा 105 गैर ए.सी. बसों) बसों की खरीद हेतु अगस्त 2009 और जनवरी 2010 के बीच आदेश दे दिए। इनमें से फरीदाबाद डिपो पर 102 बसें दिसंबर 2009 तथा अगस्त 2011 के बीच पहुंची तथा शेष 48 बसें अप्रैल 2012 में पहुंची। इस प्रकार, विभाग द्वारा सभी 150 बसों की सुपुर्दगी ले ली गई।

जे.एन.नुरम के अधीन खरीदी गई शहरी बसों को शहरी मार्गों पर प्रतिदिन कम से कम 180 किलोमीटर (कि.मी.) चलना था। प्रत्येक 8 घंटे की पारी के लिए प्रत्येक बस हेतु एक चालक एवं एक परिचालक की आवश्यकता थी। 2.5 चालक एवं 2.5 परिचालक प्रति बस और उपलब्ध कराकर बसों के उपयोग को प्रतिदिन 360 कि.मी. तक बढ़ाया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (नवंबर 2011) कि विभाग ने जे.एन.नुरम स्कीम के अधीन नई खरीदी गई बसों को चलाने के लिए अतिरिक्त चालकों एवं परिचालकों की भर्ती नहीं की थी। यद्यपि विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी थी परंतु इससे परिणामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद निदेशक, राज्य परिवहन विभाग ने चालकों एवं परिचालकों की भर्ती हेतु दिसंबर 2011 में विज्ञापन दिया। परिणामतः 15 निम्न फ्लोर वाली वोल्बो बसों को छोड़कर, ये बसें कम से कम 180 कि.मी. प्रतिदिन के हिसाब से उपयोग में नहीं लाई जा सकी। इस मानक के विरुद्ध प्रतिदिन प्रति बस का औसत चालन 75.60 कि.मी. ही वास्तव में हुआ। यहां तक कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बसों को रोके रखने के कारण उनके प्रयोग में दी गई 10 प्रतिशत की छूट को विचार में लेने पर भी 2010 से 2012 की अवधि में बसों का 53 प्रतिशत तक अपेक्षा से कम प्रयोग किया गया। इस प्रकार, जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन का फरीदाबाद में व्यवस्थित एवं अधिक कुशल शहरी बस सेवा देने का उद्देश्य बहुत हद तक अप्राप्त रहा।

परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव ने अगस्त 2012 में सूचित किया कि राज्य की भर्ती एजेसी को कर्मचारियों की भर्ती हेतु मांग समय पर भेजी गई थी। ऐसे में भर्ती में हुए विलंब में विभाग का कोई हाथ नहीं था।

मुद्दा वहीं रहा कि बसों की खरीद प्रक्रिया के साथ-साथ उसी अनुसार कर्मचारियों की भर्ती न किए जाने से 53 प्रतिशत तक बसों का अपेक्षा से कम प्रयोग हुआ, इसके अतिरिक्त जे.एन. नुरम का फरीदाबाद में व्यवस्थित एवं अधिक कुशल शहरी बस सेवा देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

4.3.7 दोषपूर्ण आयोजना के कारण एगो मॉल के भवनों के अधूरे निर्माण पर निधियों का अवरोधन

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पंचकूला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में चार एगो मॉल का निर्माण उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों तथा ड्राइंग्स को अन्तिम रूप दिए बिना आरंभ कर देने के परिणामस्वरूप ये भवन अधूरे रह गए, जिससे ₹ 132.52 करोड़ का अवरोधन हुआ।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता 2009 का अनुच्छेद 9.5 (पुरानी लो.नि.वि. संहिता का अनुच्छेद 2.89) यह बंधन लगाता है कि प्रत्येक निर्माण कार्य जो किए जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है सक्षम अधिकारी से संस्वीकृति हेतु आवश्यक ड्राइंग एवं प्रारंभिक संरचनात्मक तथा सेवा डिजाईन अवश्य तैयार किए जाने चाहिए। इसके पीछे भावना यही है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से संपुष्ट हों, वांछित सेवा के लिए विशिष्टियां यथोचित हों और अनुमान पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर यथार्थवादी हों। लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 10.6.12 में आगे प्रावधान है कि अधिमानतः सभी शिल्प संबंधी एवं संरचनात्मक ड्राइंग निर्माण कार्य को दिए जाने के समय उपलब्ध होने चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो लक्षित तिथियों को जिन तक शिल्प संबंधी एवं संरचनात्मक ड्राइंग पूरे हो जायेंगे, एक चरणबद्ध अनुसूची की आपूर्ति की जाएगी ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए।

उपभोक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, जहां पर वे अपने दिन-प्रतिदिन की प्रयोग की हर तरह की चीजें एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकें, के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) ने चार शहरों (करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा रोहतक) में एगो मॉल्स के निर्माण को (जुलाई 2007 से दिसंबर 2008) मंजूरी दी। चेरमैन, एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा जुलाई 2007 तथा फरवरी 2008 के दौरान इन शहरों में चार एगो मॉल्स बनाए जाने के लिए ₹ 122.62 करोड़²⁸ की राशि की प्रशासनिक मंजूरियां प्रदान की गईं। निर्माण कार्यों के लिए अप्रैल 2008 तथा फरवरी 2009 के दौरान मांगी गई तथा ₹ 90.62 करोड़²⁹ की कुल लागत पर सिविल निर्माण कार्यों को विभिन्न एजेसियों को प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए 12 माह की पूर्णता समयावधि के साथ आबंटित कर दिया गया। निर्माण कार्य आबंटित करने के पश्चात् पंचकूला में निर्माण कार्य के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें बेसमेंट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया तथा रोहतक में एगो मॉल के कवर्ड क्षेत्र को अतिरिक्त दुकानों के प्रावधान करने के कारण बढ़ा दिया गया था। करनाल में रफ लागत अनुमान को प्लिंथ एरिया के आधार पर मंजूर कराया गया जिसके कारण मात्राओं एवं लागत में वृद्धि हो गई। ऐसे में बोर्ड द्वारा पंचकूला के लिए ₹ 49.80 करोड़ (अक्टूबर 2008) रोहतक के लिए ₹ 89.53 करोड़ (मार्च 2011), करनाल के लिए ₹ 47.28 करोड़ (सितंबर 2011) की राशि की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। यद्यपि अक्टूबर 2012

²⁸ पंचकूला ₹ 24.82 करोड़ (जुलाई 2007), पानीपत ₹ 22.27 करोड़ (जून 2008), रोहतक 45.51 करोड़ (दिसंबर 2008), करनाल ₹ 30.02 करोड़ (जून 2008)।

²⁹ पंचकूला ₹ 24.00 करोड़ (अप्रैल 2008), पानीपत ₹ 16.63 करोड़ (सितंबर 2008), रोहतक 33.05 करोड़ (फरवरी 2009), करनाल ₹ 16.94 करोड़ (सितंबर 2008)।

तक चार शहरों में निर्माण कार्यों पर ₹ 132.52 करोड़ का व्यय किया जा चुका था, फिर भी ये सभी भवन अभी तक अधूरे निर्मित हुए थे (दिसंबर 2012)।

मॉल्स के निर्माण कार्यों से संबंधित रिकार्ड की नमूना-जांच करने पर (मार्च 2012) प्रकट हुआ:

एग्रो मॉल पंचकूला

निविदाएं आमंत्रित करने हेतु मॉल भवन के निर्माण कार्य के लिए विस्तृत नोटिस (डी.एन.आई.टी.) को मुख्य अभियंता, एस.एस.ए.एम.बी. पंचकूला द्वारा फरवरी 2008 में ₹ 23.97 करोड़ के लिए मंजूरी दी गई तथा निर्माण कार्य अप्रैल 2008 में अवाई किया गया। बोर्ड ने मार्च 2010 में करार को निरस्त कर दिया तथा निर्माण कार्य आगामी डिजाइनों के पूर्ण न होने के कारण बीच में ही छोड़ा हुआ पड़ा था। मार्च 2010 तक इस निर्माण कार्य पर ₹ 14.42 करोड़ खर्च हो चुका था। शेष निर्माण कार्य के लिए जनवरी 2012 में निविदाएं आमंत्रित की गई तथा निर्माण कार्य को मार्च 2012 में एक वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 16.55 करोड़ में एक अन्य एजेंसी को आबटित कर दिया गया।



अधूरा छोड़ा गया एग्रोमाल, पंचकूला का चित्र
(दिनांक 21 मार्च 2012)

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भवन के निर्माण का कार्य अप्रैल 2008 में आबटित किया गया था जबकि ड्राईंग एवं डिजाइन तैयार करने का कार्य एक अन्य एजेंसी को मई 2008 में आबटित किया गया था। एक विवेकपूर्ण चलन अनुसार विस्तृत डिजाइन तथा ड्राईंग पहले बनाए जाने चाहिए थे तथा निर्माण कार्य के लागत अनुमान बाद में तैयार किए जाने चाहिए थे। निर्माण कार्य अधूरा था (दिसंबर 2012)।

एग्रो मॉल, पानीपत

एग्रो मॉल, पानीपत के लिए निर्माण कार्य एक वर्ष की निर्माण समय सीमा के साथ ₹ 16.63 करोड़ में सितंबर 2008 में आबटित किया गया था। निर्माण कार्य को फिर से बिना डिजाइन तथा ड्राईंग को पूरा किए आबटित किया गया। संशोधित ड्राईंग एजेंसी को बहुत विलंब से मई 2009 में उपलब्ध कराए गए, जिस कारण से ₹ 1.33 करोड़ का कार्य करने के पश्चात् एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया। एजेंसी पर 1.66 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जो कि लागू किए जाने लायक नहीं था क्योंकि इसे लागू करने के लिए कोई साधन नहीं थे। शेष कार्य



निर्माणाधीन एग्रोमाल, पानीपत का चित्र
(दिनांक 2 मई 2012)

को पुरानी एजेंसी के ही जोखिम और लागत पर ₹ 10.44 करोड़ में पुनः आबंटित कर दिया गया (अप्रैल 2010)। द्वितीय एजेंसी ने ₹ 11.75 करोड़ का निर्माण कार्य किया। निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा था (दिसंबर 2012)।

एग्रो मॉल, रोहतक

18,288.96 वर्ग मीटर के कवर क्षेत्र वाले एग्रो मॉल, रोहतक के निर्माण कार्य को ₹ 45.51 करोड़ की लागत में किए जाने की प्रशासनिक मंजूरी बोर्ड ने दी। यह निर्माण कार्य एक एजेंसी को ₹ 33.05 करोड़ में करने के लिए फरवरी 2009 में आबंटित किया गया। प्लान को संशोधित किया गया तथा अधिक दुकानें बनाए जाने हेतु कवर्ड क्षेत्र को 18288.96 से बढ़ाकर 31305.11 वर्ग मीटर कर दिया गया। बोर्ड द्वारा फरवरी 2012 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि के साथ मार्च 2011 में ₹ 89.53 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई। अक्टूबर 2012 तक (बिजली संबंधी कार्य पर ₹ 17.30 करोड़ सहित) ₹ 76.68 करोड़ का व्यय हो चुका था परंतु निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा था (दिसंबर 2012)।



एग्रो माल, करनाल

यह निर्माण कार्य सितंबर 2008 में ₹ 16.94 करोड़ की लागत से एक वर्ष के भीतर पूरा किए जाने के लिए दिया गया था। (₹ 8.86 करोड़ के बिजली संबंधी व्यय सहित) ₹ 28.34 करोड़ अक्टूबर 2012 तक खर्च किया जा चुका है परंतु जिस निर्माण कार्य को सितंबर 2009 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था वह अभी तक भी अधूरा पड़ा है (दिसंबर 2012)।



इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अन्य कमियां भी अवलोकित की:

- ₹ 15.42 करोड़ (पंचकूला - ₹ 0.63 करोड़, करनाल - ₹ 1.20 करोड़ और रोहतक - ₹ 13.59 करोड़) की राशि के असूचिगत कार्यों को संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के, कराया गया।
- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के संदर्भ में निर्माणकर्ता एजेंसियों से कल्याण उपकर की वसूली का प्रावधान नहीं किया गया जिससे बोर्ड पर ₹ 12.74 लाख की देनदारी आ गई।

22 नवंबर 2012 को हुई एक एग्जिट कान्फ्रेंस में कृषि विभाग हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने कहा कि क्योंकि हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. संहिता को नवंबर 2009 से लागू किया गया था इसलिए

विस्तृत अनुमान, डिजाइन इत्यादि के बनाए जाने की शर्तों को निर्माण कार्य सौंपे जाने से पहले ठेका संविदाओं में शामिल नहीं किया जा सका, जबकि निर्माण कार्य हेतु निविदाओं को उस तिथि से पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका था। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि ये शर्तें पुरानी पी.डब्ल्यू.डी. संहिता में तथा मानक बिडिंग दस्तावेजों में पहले से ही मौजूद थी। विभाग ने सूचित किया कि ठेकेदारों से कल्याण उपकर को वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि किए गए करारों में इस संबंध में कोई भी उपबंध शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसे बोर्ड में अप्रैल 2008 को लागू किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त उपकर लगाने एवं भुगतान में से काटना एक वैधानिक आवश्यकता थी और यह फरवरी 2007 के बाद हरियाणा में हुए सभी निर्माण कार्यों के लिए लागू थी।

इस प्रकार, निर्माण कार्यों को बिना उनकी वास्तविक आवश्यकताओं, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों, अनुमोदित डिजाईन तथा नक्शों के तथा निर्माण कार्य के पूर्ण विस्तार का निर्धारण किए, परिकल्पित किया गया तथा आर्बिट्रित किया गया। प्रोजेक्ट तथा ठेका संविदाएं तैयार करने में भी आयोजना की कमी थी, क्योंकि समय पर कार्य पूरा न करने पर जुर्माना लगाने की मुख्य शर्तों तथा कल्याण उपकर काटे जाने जैसी शर्तों को ठेका संविदाओं में शामिल नहीं किया गया। इससे बोर्ड के वित्तीय हितों के साथ खिलवाड़ हुआ और अधूरे भवनों पर ₹ 132.52 करोड़ की धनराशि का अवरोधन हुआ तथा लक्षित समूह तक वांछित लाभ नहीं पहुंच पाये।

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

4.3.8 उपकर की वापसी से ठेकेदारों को अनुचित लाभ

ठेकेदारों को मजदूरी उपकर की वापसी के परिणामस्वरूप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मियों (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम 1996 बनाया और भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मियों के कल्याण हेतु उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) बनाया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मियों के लिए रोजगार एवं सेवा शर्तों को विनियमित करना था। भारत सरकार (लेबर मंत्रालय) ने 26 सितंबर 1996 को एक अधिसूचना द्वारा कहा था कि कुल निर्माण कार्य लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर, नियोक्ता पर लगाया जाना था। तदनुसार, हरियाणा सरकार ने (मार्च 2005) हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मी (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2005 बनाए आगे सरकार ने नवंबर 2006 में निर्माण कार्य कर्मियों के लिए कल्याणकारी स्कीमें चलाने के लिए हरियाणा भवन एवं निर्माण कार्य कर्मी कल्याण बोर्ड का गठन किया और फरवरी 2007 से उपकर अधिनियम की जरूरतों के अनुसार एक प्रतिशत उपकर लागू किया। सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा बनवाए जाने वाले भवन तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु दिए गए बिल के भुगतानों

में से उपकर को स्रोत पर ही काटा जाना था, और इस प्रकार एकत्र उपकर की कुल राशि को बोर्ड को हस्तांतरित करना था। इस प्रकार एकत्र उपकर को भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों के कल्याणार्थ स्कीमों जैसे कि प्रसूति लाभ, पेंशन, घर की खरीद अथवा निर्माण के लिए अग्रिम, अपंगता पेंशन औजारों के लिए कर्ज, दाह संस्कार के लिए मदद राशि का भुगतान, मृत्यु पर दिए जाने वाले लाभ, चिकित्सकीय मदद, बच्चों की पढ़ाई और विवाह आदि के लिए वित्तीय मदद पर खर्च किया जाना था। सभी विभागाध्यक्षों की 26 जून 2007 को हुई बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि जहां पर निर्माण कार्य ठेकेदारों, द्वारा कराए जा रहे थे वहां उपकर की कटौती संबंधी प्रावधान को शामिल कर नए ठेके दिए जाएं, और जहां पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां उनके बिलों की लागत का एक प्रतिशत विभाग उसमें जोड़ दें और उपकर की उस कुल राशि को बोर्ड को हस्तांतरित कर दें।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) मंडलों के पांच³⁰ कार्यकारी अभियंताओं के रिकार्ड की जून 2009 से मार्च 2010 तक की गई जांच से प्रकट हुआ कि जून 2007 से अक्टूबर 2008 तक की अवधि में 27 निर्माण कार्य (परिशिष्ट 4.10) करने वाले 16 ठेकेदारों को किए भुगतान में से ₹ 63.62 लाख कल्याण उपकर के रूप में काटे गए। यह काटी गई राशि जुलाई 2007 से फरवरी 2009 के बीच बोर्ड के खातों में जमा कराई गई। एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर, मुख्य प्रशासक (सी.ए.), हुडा ने जून 2008 में सभी कार्यकारी अभियंताओं को, उन मामलों में 2 नवंबर, 2006 के पश्चात् काटा गया उपकर वापस करने के निर्देश दिए जिनके साथ किए गए करारों में उपकर को काटे जाने का उपबंध नहीं था। इन पांच कार्यकारी अभियंताओं ने ₹ 63.62 लाख की उपकर की राशि जुलाई 2008 से जून 2010 के बीच ठेकेदारों को वापिस लौटा दी। आगे और जांच से प्रकट हुआ कि इन ठेकेदारों के साथ किए गए करारों में इस तरह के प्रावधान थे कि रेट, उस समय लागू सभी करों सहित हैं। इस उपबंध के दृष्टिगत ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप हुडा का ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अपने जवाब में, मुख्य प्रशासक हुडा ने कहा (जुलाई 2012) कि उपकर राशि की वापसी केवल उन ठेकेदारों को की गई थी, जहां करारों में ऐसा प्रावधान नहीं था। सी.ए. हुडा द्वारा की गई कार्रवाई, करारों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि करारों में ऐसा प्रावधान था कि रेट, उस समय लागू सभी करों सहित हैं। इस प्रकार, उपकर की वापसी से ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा।

मामला एक अर्द्ध-शासकीय पत्र द्वारा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव को भेजा गया (मार्च 2012) परंतु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2012)।

³⁰ (i) हुडा इलेक्ट्रीकल मंडल, गुड़गांव: ₹ 1.86 लाख; (ii) हुडा मंडल I, गुड़गांव: ₹ 9.10 लाख; (iii) हुडा मंडल VI, गुड़गांव: 9.58 लाख; (iv) हुडा मंडल, रोहतक: 30.83 लाख तथा (v) हुडा मंडल, पानीपत: ₹ 12.24 लाख।

4.3.9 सोसायटी के लिए अनुचित पक्षपात

₹ 11.09 करोड़ की लागत से रोहतक में बनी स्कूल इमारत को एक शिक्षा सोसायटी को ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर पट्टे पर दे दिया गया। इस तरह, सोसायटी का अनुचित पक्ष लिया गया।

हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण (हुडा) अधिनियम 1977 की धारा 13 के अनुसार इस प्राधिकरण के उद्देश्य से किसी शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी अथवा अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा प्राप्त करना होंगे। यह अवलोकित किया गया कि आयोजना के नीतिगत निर्देशों के अनुसार (फरवरी 2009) हुडा विभिन्न सामुदायिक भवन स्थलों जैसे क्लैच, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए प्लॉट काटता है और उन में से कुछ स्थलों पर भवनों का निर्माण करता है, और उन्हें संबंधित विभागों को ₹ 100 प्रतिवर्ष की मामूली टॉकन लीज पर 99 वर्ष के लिए दे देता है। स्कूल भवनों को पट्टे पर दिए जाने के नीति निर्देश, इसके साथ-साथ प्रावधान करते हैं कि:

- हुडा द्वारा बनाए गए स्कूल भवनों को पट्टे पर देने के लिए आवेदन विज्ञापन देकर मांगे जाएंगे।
- केवल प्रसिद्ध एन.जी.ओ. जो कि उस विज्ञापन के छपने से दो वर्ष पहले से पंजीकृत हो वही आवेदन देने के योग्य थे।
- केवल वही एन.जी.ओ. जो कि गरीब बच्चों को दान स्वरूप शिक्षा प्रदान कर रही है। वही इसके योग्य थी।
- भवनों को शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए ₹ 100 प्रतिवर्ष की टॉकन लीज राशि के साथ दिया जाना था। जिसे सोसायटी के कार्य को देखते हुए अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाना था।

संपदा अधिकारी, रोहतक के रिकार्ड की जांच से प्रकट हुआ कि हुडा ने शिक्षा विभाग से उसकी आवश्यकता का बिना पता लगाए सैक्टर-4, रोहतक में 22,132 वर्गमीटर के प्लॉट पर ₹ 11.09 करोड़³¹ की लागत से सीनियर सैकेंडरी स्कूल के लिए एक भवन बनाया जिसे शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाना था। संपदा अधिकारी, हुडा, रोहतक ने फरवरी 2010 में यह भवन बिना निविदाएं मांगे, ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर प्रधान, मॉडल स्कूल सोसायटी, रोहतक को नीतिगत निर्देशों के संबंध में ढील देते हुए, सोसायटी को 30 वर्ष की अवधि के लिए दे दिया (फरवरी 2010)।

इस बारे में अक्टूबर 2010 में इंगित करने पर, नवंबर 2012 को एक एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक शहरी संपदा विभाग (यू.ई.डी.) ने कहा कि स्कूल भवन इसलिए उस सोसायटी को दिया गया क्योंकि प्राधान्यतः उपायुक्त (डी.सी.) सहित सरकारी अधिकारी उसके सदस्य/अध्यक्ष थे और सोसायटी के कार्यों का संचालन एक्स-आफीशियो की हैसियत में 'न लाभ, न हानि' के आधार पर कर रहे थे। डी.जी., यू.ई.डी. ने आगे कहा कि स्कूल भवन को पट्टे पर देने बारे प्रैस में विज्ञापन देने की जरूरत इसलिए

³¹ निर्माण की लागत: ₹ 2.26 करोड़; भूमि की लागत: ₹ 8.83 करोड़।

महसूस नहीं की गई क्योंकि उपायुक्त एवं प्रशासक, हुडा रोहतक द्वारा इस भवन को मॉडल स्कूल सोसायटी को दिए जाने की पुरजोर सिफारिश की गई थी। आगे, सोसायटी रोहतक के वासियों को शिक्षा के उच्च मानक उपलब्ध करा रही थी और महानिदेशक, स्कूली शिक्षा, हरियाणा द्वारा इस बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी।

विभाग का यह तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मीडिया में व्यापक प्रचार के न होने से पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सोसायटी का अनुचित पक्ष लिया गया। सोसायटी, सरकारी स्कूलों द्वारा ली जा रही मामूली फीस अथवा न ली जा रही फीस की तुलना में विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक विद्यार्थी से ₹ 1,400 तथा ₹ 2,100 के बीच बहुत ज्यादा फीस प्रति माह ले रही थी, इस प्रकार प्रधान सचिव एवं महानिदेशक, यू.ई.डी. का दावा कि मॉडल स्कूल 'न लाभ न हानि' के आधार पर सरकारी संगठन की भांति चल रहा था, गलत सिद्ध हो रहा था। पी.एस. एवं डी.जी. की यह धारणा, कि इस मॉडल स्कूल द्वारा रोहतक के वासियों को शिक्षा के उच्च मानक उपलब्ध कराए जा रहे थे, ठीक नहीं ठहरती क्योंकि निर्धन परिवारों/आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ई.डब्ल्यू.एस.) से संबद्ध बच्चे मॉडल स्कूल में प्रवेश लेने में समर्थ नहीं थे। इ.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए आरक्षित 201 सीटों (सरकार की तरफ से निर्धारित, कुल बच्चों की संख्या का 25 प्रतिशत) के विरुद्ध स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के केवल दो ही विद्यार्थियों को इस स्कूल में प्रवेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पट्टे पर देने की नीति में शुरू में पांच वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रावधान होने पर भी भवन को 30 वर्ष के पट्टे पर दे दिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया कि स्कूल भवन को ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर देने के अतिरिक्त 2009 से 2011 के दौरान ₹ 39.50 लाख (परिशिष्ट 3.2 में दिए विवरणानुसार) की राशि विवेकाधीन अनुदानों के रूप में सोसायटी को दी गई।

इस प्रकार, नीति निर्देशों का उल्लंघन कर ₹ 11.09 करोड़ की लागत से बने स्कूल भवन को एक सोसायटी का पक्ष लेते हुए उसे ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर दे दिया गया।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

4.3.10 निजी कॉलोनी निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करना

लाइसेंसों का नवीनीकरण न करने से, ₹ 1.86 करोड़ की नवीनीकरण की फीस राशि कालोनी विकासकर्ताओं से अवसूली रह गई। आगे, बैंक गारंटियों की पुनःवैधता के लिए कोई निगरानी प्रणाली न होने से ₹ 1.92 करोड़ की बैंक गारंटियां समाप्त हो गईं।

महानिदेशक (डी.जी.), नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.) हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन, अधिनियम, 1975 की धारा 3 एवं उसके नीचे बनाए गए नियमों के संदर्भ में

निर्धारित फीस एवं परिवर्तन शुल्क के भुगतान करने पर कॉलोनी विकासकर्ता³² को आवासीय गुप हाऊसिंग के विकास अथवा प्लॉट बना कर बनाई गई कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। आरंभ में लाइसेंस दो वर्ष के लिए वैध होता है, इसे नवीनीकरण फीस का भुगतान कर एक वर्ष के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है जब तक कि कालोनी पूरी नहीं हो जाती। 2001-02 से 2010-11 की अवधि में, विभाग ने राज्य में कालोनी विकासकर्ताओं को 863 लाइसेंस जारी किए। इनमें से 225 लाइसेंस फाइलों की लेखापरीक्षा द्वारा रेंडम चयन के आधार पर डी.पी.टी.सी.पी.टी. के कार्यालय में जनवरी 2012 में जांच की गई तथा निम्नलिखित कमियां एवं अनियमितताएं पाई गईं:

(क) लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस की वसूली न करना

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन, नियम 1976 के नियम 13 में प्रावधान है कि जहां कॉलोनी विकासकर्ता कालोनियों में विकास कार्य को पूर्ण करने में विफल रहता है वहां उनके लाइसेंसों को पुनः नवीनीकृत किया जाये। जहां पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है ऐसे मामलों में कालोनी विकासकर्ताओं को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित फीस के 10 प्रतिशत की दर से नवीनीकरण फीस के साथ आवेदन करना था तथा जहां आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था वहां निर्धारित फीस के 2.5 प्रतिशत फीस सहित आवेदन करना था।

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 3.16 (v) में “लाइसेंसों का नवीनीकरण न करना” संबंधी उल्लेख था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि गुड़गांव में चार कॉलोनी विकासकर्ताओं³³ के लाइसेंस अंतिम बार जून 2010 एवं दिसंबर 2010 के बीच की दिनांक तक नवीनीकृत किए गए। कालोनियों के विकास कार्य अधूरे होने पर भी दिसंबर 2012 तक उन्हें नवीनीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार, इन लाइसेंसों के नवीनीकरण न करने से, कालोनी विकासकर्ताओं से ₹ 1.86 करोड़ की राशि अवसूली रह गई।

महानिदेशक ने दिसंबर 2012 में सूचित किया कि दो मामलों में कालोनी विकासकर्ताओं ने मई तथा जून 2012 तक के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन किया था। शेष दो मामलों में लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि, यह तथ्य, तथ्य ही रहा कि विभाग द्वारा ऐसी कोई प्रणाली, जिसके द्वारा लाइसेंसों

³² कॉलोनी विकासकर्ता का अर्थ है कोई व्यक्ति, कंपनी अथवा संघ, व्यक्तियों का निकाय जिसके पास कॉलोनी में परिवर्तित कराने हेतु अपनी भूमि है।

³³ (i) यूनितैक लिमिटेड, गुड़गांव दिसंबर 2011 (₹ 11.87 लाख) नवीनीकरण के लिए मई 2012 में आवेदन किया।

(ii) यूनितैक लिमिटेड, गुड़गांव जून 2011 (₹ 8.19 लाख) नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।

(iii) यूनितैक लिमिटेड, गुड़गांव मई 2011 (₹ 46.12 लाख) नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।

(iv) डा0 फ्रेश रियल स्टेट गुड़गांव जून 2010 (₹ 119.80 लाख) नवीनीकरण के लिए जून 2012 में आवेदन किया।

के पुनः नवीनीकरण की देय तिथियों और वसूली जाने वाली लाइसेंस फीस की राशि पर समीप से निगरानी रखी जा सके, नहीं बनाई थी।

(ख) बैंक गारंटी का व्यपगत होना

नियम 11 तत्रैव कहता है कि कॉलोनी विकासकर्ताओं को अनुमानित विकास कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत के तुल्य बैंक गारंटी देनी होगी। कालोनी विकासकर्ताओं द्वारा किसी भी करार भंग की अवस्था में, महानिदेशक उन्हें दिए गए लाइसेंसों को रद्द कर सकता है तथा ऐसे में बैंक गारंटी जब्त की जानी होगी।

महानिदेशालय में बैंक गारंटी रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि यद्यपि, ₹ 1.92 करोड़ राशि की छः बैंक गारंटियों की कालावधि सितंबर 2005 तथा सितंबर 2006 के बीच समाप्त हो चुकी थी जिन्हें, अभी तक कालोनी विकासकर्ताओं से उन्हें पुनः वैध नहीं कराया गया था (दिसंबर 2012) क्योंकि बैंक गारंटियों के पुनः वैधीकरण कराने की कोई प्रणाली नहीं बनाई गई थी।

इस बारे में लेखापरीक्षा द्वारा जनवरी 2012 में इंगित किए जाने पर विभाग ने संबद्ध कालोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिए थे (नवंबर 2012)।

(ग) कालोनियों का पूर्ण न होना

नियम 12 में तत्रैव प्रावधान है कि कालोनियों में विकास कार्य दो वर्ष में पूर्ण हो जाना चाहिए और नियम 16 के अधीन टी.सी.पी.डी. से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

17 जिलों में जहां पर कॉलोनी विकासकर्ताओं ने सामूहिक आवासीय कालोनियां अथवा प्लाटों वाली कालोनियां नवंबर 2011 तक विकसित करनी थी, ऐसे 225 प्रकरणों में से 160 प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि किसी भी कॉलोनी विकासकर्ता ने कालोनियां पूरी नहीं बनाई थी (जनवरी 2012)। ऐसे में, विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बारे में इंगित किए जाने पर, महानिदेशक ने जनवरी 2012 में कहा कि इन प्रोजेक्टों के विकास में कई दशक लग जाएंगे क्योंकि मूलभूत निर्माण संरचना में जैसे कि जलापूर्ति, सीवरेज, तूफानी जल निकास, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, बिजली के सब-स्टेशन इत्यादि अभी मुहैया कराया जाना था। विभाग के उत्तर के दृष्टिगत, लेखापरीक्षा का ऐसा विचार है कि ऐसी सभी मूलभूत सुविधाओं के पूरा होने के लिए समयावधि बढ़ाए जाने के बारे में नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि निवासी मूल सुविधाओं से वंचित न रहने पायें।

यह मामला, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव को जून 2010 में संदर्भित किया गया था परंतु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2012)।